

CHAPTER-2 : PREVENTIVE MEASURES

Module B-03: Soft Skill-2 (06 session)

Paper 9 (B) (06 session)

संपर्क और व्यवहार : शिकायतकर्ता, गवाह, पीड़ित, आरोपी, बच्चे, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यक, LGBTQIA+, वरिष्ठ और जूनियर पुलिसकर्मियों के साथ :-

1. शिकायतकर्ता और गवाहों के साथ संपर्क और व्यवहार:-

- समानता और सम्मान: शिकायतकर्ता और गवाहों के साथ संपर्क करते समय, उन्हें समान सम्मान और समझ के साथ पेश आना चाहिए।
- सहानुभूति: गवाह और शिकायतकर्ता को सुनना और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करना।
- संवेदनशीलता: किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने की कोशिश करें।
- प्रक्रिया का स्पष्टता: शिकायतकर्ताओं को यह स्पष्ट करें कि उनके मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, ताकि उन्हें चिंता न हो।
- गोपनीयता: गवाहों और शिकायतकर्ताओं की जानकारी को गोपनीय रखना अत्यंत आवश्यक है।

2. पीड़ितों के साथ संपर्क और व्यवहार:-

- सहानुभूति: पीड़ितों से संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए।
- सुरक्षा: पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है, खासकर अगर वे किसी हिंसा या शोषण के शिकार हुए हैं।
- मानवीय दृष्टिकोण: पीड़ितों के मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका इलाज करना।

3. आरोपी के साथ संपर्क और व्यवहार:-

- न्यायसंगत: आरोपी के साथ बिना किसी पक्षपाती भाव के पेश आना चाहिए।
- मानवाधिकार: आरोपी के मानवाधिकार का उल्लंघन न करें और उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।
- कानूनी प्रक्रियाओं का पालन: आरोपी को सभी कानूनी अधिकारों की जानकारी देना चाहिए, जैसे कि वकील से मिलने का अधिकार।

4. बच्चों और महिलाओं के साथ संपर्क और व्यवहार:-

- विशेष देखभाल: बच्चों और महिलाओं के साथ बातचीत में विशेष संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।

- गोपनीयता और सुरक्षा: उनकी गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, और यह सुनिश्चित करना कि वे सुरक्षित महसूस करें।
- सहायता और समर्थन: महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त सहायता जैसे काउंसलिंग और शेल्टर हो।

5. वरिष्ठ नागरिकों के साथ संपर्क और व्यवहार:—

- सम्मान: वरिष्ठ नागरिकों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए।
- सहायता: किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक सहायता की आवश्यकता हो, तो उन्हें वह उपलब्ध कराना चाहिए।
- संवेदनशीलता: उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए उचित संवाद करना।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ संपर्क:—

- समानता का व्यवहार: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव से बचना चाहिए।
- सम्मान: उन्हें सम्मान देने और उनके अधिकारों का उल्लंघन न करने की आवश्यकता है।
- संवेदनशीलता: ऐतिहासिक भेदभाव और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए उनसे संवाद करना।

7. अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संपर्क:—

- भेदभाव रहित: सभी समुदायों के साथ समान अधिकारों और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए।
- सुरक्षा सुनिश्चित करना: अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देना चाहिए, खासकर अगर वे किसी हिंसा या उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं।

8- LGBTQIA+ समुदाय के साथ संपर्क और व्यवहार:—

- समान अधिकारों का सम्मान: LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को समान अधिकारों और सम्मान के साथ व्यवहार करें।
- गोपनीयता: उनकी गोपनीयता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब वे व्यक्तिगत मामलों में पुलिस से संपर्क करते हैं।
- संवेदनशीलता: उनके मुद्दों को समझना और संवेदनशीलता के साथ पेश आना।

9. वरिष्ठ और जूनियर पुलिसकर्मियों के साथ संपर्क:—

- सम्मान और आदान-प्रदान: वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को उनका सम्मान देते हुए सहयोग करना चाहिए, और जूनियर पुलिसकर्मियों से सहानुभूति और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।
- टीमवर्क: पुलिस कार्य में टीमवर्क बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी के साथ सामूहिक रूप से काम करना चाहिए।
- शिक्षा और प्रशिक्षण: जूनियर पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे सकें।

10. जनता और मीडिया के साथ संपर्क और व्यवहार:—

- संवेदनशीलता और गोपनीयता: जनता और मीडिया से संवाद करते समय व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।

- सच्चाई और पारदर्शिता: मीडिया के साथ संवाद में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।
- शांति और संयम: पुलिस स्टेशन में आने वाली जनता से शांतिपूर्वक और संयम के साथ बातचीत करनी चाहिए। यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसे शांति से हल करना चाहिए।
- प्रेस ब्रीफिंग: मीडिया को जरूरी जानकारी देना, लेकिन पुलिस की जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने से बचना चाहिए।

PTS, JODHPUR

Module B-04: Human Rights (24 session)

Paper:12(B-3) Human rights (24 session)

मानवाधिकार का पृष्ठभूमि, उद्देश्य और महत्व भारत में –

“1. मानवाधिकार का पृष्ठभूमि (Background of Human Rights)”

- मानवाधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो सभी मानवों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और ये किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना होते हैं। इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। मानवाधिकारों के विचार की शुरुआत प्राचीन काल से ही हुई थी, लेकिन इन अधिकारों का व्यवस्थित और कानूनी रूप से प्रमाणीकरण 20वीं सदी में हुआ।
- भारत में मानवाधिकारों की अवधारणा भारतीय समाज में बहुत पुरानी है, लेकिन इसका संस्थागत रूप भारतीय संविधान में मिला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, षूल अधिकार के तहत नागरिकों को बुनियादी अधिकार दिए गए हैं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता, और समानता की सुरक्षा करते हैं।
- भारत ने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए ‘सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा’ (न्दपअमतेस कमबसंतंजपवद वभिन्उंद त्पहीजे) को स्वीकार किया। इसके बाद भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छभ्त्ब) की स्थापना 1993 में एक महत्वपूर्ण कदम था।

“2. मानवाधिकारों का उद्देश्य (Purpose of Human Rights)–”

मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ जी सकें। इसका उद्देश्य उनके शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। मानवाधिकारों के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता, और सम्मान मिलते हैं, और उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या शोषण से बचाया जाता है।

भारत में मानवाधिकारों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- “समानता की स्थापनारू” मानवाधिकारों का प्रमुख उद्देश्य समाज में समानता को सुनिश्चित करना है। इसके तहत जाति, धर्म, लिंग, भाषा, और अन्य भेदभावों को खत्म करना शामिल है।
- “स्वतंत्रता का अधिकाररू” प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद, विचारों, और विश्वासों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- “शारीरिक और मानसिक सुरक्षारू” हर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शोषण से मुक्त रहना चाहिए। किसी को भी हिंसा, उत्पीड़न, या भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए।
- “सामाजिक न्याय और अवसररू” प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। खासकर कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
- “कानूनी संरक्षणरू” हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

“3. मानवाधिकारों का महत्व (Importance of Human Rights in India)–”

भारत में मानवाधिकारों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहां के नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का पूरा सम्मान प्राप्त है। मानवाधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं, बल्कि समाज और देश के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक हैं। भारत में मानवाधिकारों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है –

- “समानता और सामाजिक समावेशन—” मानवाधिकारों का उद्देश्य समाज में सभी वर्गों के बीच समानता की स्थिति स्थापित करना है। जातिवाद, लिंग भेदभाव, और अन्य सामाजिक भेदभावों को समाप्त करने के लिए मानवाधिकारों की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप, भारतीय संविधान में शूल अधिकार के तहत इस बात की गारंटी दी गई है कि कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, या भाषा के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा।
- “सुरक्षा और स्वतंत्रता—” भारत में मानवाधिकारों के तहत नागरिकों को अपनी आजादी का अधिकार है। वे स्वतंत्र रूप से विचार, अभिव्यक्ति और धर्म का पालन कर सकते हैं। ये अधिकार उन्हें राज्य या समाज के उत्पीड़न से बचाते हैं।
उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अवैध हस्तक्षेप के जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है।
- “शोषण और उत्पीड़न से बचावरू” मानवाधिकारों की रक्षा के द्वारा शोषण और उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सकता है। भारत में बाल श्रम, मानव तस्करी, महिला उत्पीड़न, और अन्य प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए मानवाधिकारों का पालन आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छम्ब) जैसी संस्थाएं इन उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं।
- “न्याय का अधिकाररू” हर व्यक्ति को न्याय की प्राप्ति का अधिकार है। मानवाधिकारों के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि नागरिकों को कानूनी मदद, न्यायपूर्ण निर्णय, और अनुशासनपूर्ण प्रक्रिया मिले। विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए यह अधिकार अहम होता है।
- “संवेदनशीलता और जागरूकता में वृद्धिरू” मानवाधिकारों के महत्व को समझना और इसे लागू करना समाज में जागरूकता फैलाता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करता है, जिससे वे उत्पीड़न, शोषण, और अन्य अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।

“4. मानवाधिकारों की चुनौतियाँ (Challenges in Protecting Human Rights in India)—”

भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के रास्ते में कई चुनौतियाँ हैं—

- “सामाजिक भेदभावरू” भारत में जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और लिंग भेदभाव जैसी समस्याएँ आज भी प्रचलित हैं। इन भेदभावों के कारण कई समूहों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण स्वरूप, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है।
- “गरीबी और असमानतारू” भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक असमानताएँ भी मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बनती हैं। गरीब वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य बुनियादी सेवाओं से वंचित रखा जाता है।
- “कानूनी प्रक्रिया की देरीरू” भारतीय न्याय प्रणाली में मामलों की लंबी सुनवाई और निर्णय की देरी मानवाधिकारों की रक्षा में बाधा डालती है। कई बार पीड़ितों को न्याय प्राप्त होने में कई साल लग जाते हैं।
- “मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की कमीरू” देश के कई हिस्सों में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है, जो अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को बढ़ाता है।

भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण न केवल नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह समाज की समृद्धि, विकास और शांति के लिए भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक, स्वतंत्र, और समान जीवन जीने का अवसर मिले। हालांकि चुनौतियाँ हैं, लेकिन सरकार, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को मिलकर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए।

भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा पर कानूनी प्रावधान :-

भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान और विधायिकाओं का गठन किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय मिल सके। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय कानूनी प्रणाली में कई विशेष कानून और संस्थाएं बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर उचित कार्रवाई की जाती है।

“1. भारत में मानवाधिकार कानूनों का परिचय (Introduction of Human Rights Laws in India)–

- भारत में मानवाधिकार कानूनों का आदान-प्रदान 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 'सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा' (न्दपअमतेंस क्मबसंतंजपवद वी भ्नुदं त्पहीजे) को स्वीकार किया। इसके पश्चात, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, जो उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करते हैं।
- “भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानून और संस्थाएं–”
- “भारतीय संविधानरू” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक में नागरिकों को बुनियादी अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, धर्म, अभिव्यक्ति और आंदोलन की स्वतंत्रता शामिल हैं। ये अधिकार मानवाधिकारों की नींव हैं।
- “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छभ्त्ब)रू” 1993 में स्थापित इस आयोग का उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सुनवाई करना और सरकार से सिफारिशें करना है।

“2. अपराध न्याय प्रणाली और इसके हालिया विकास (Criminal Justice System and its Recent Development)–

- भारत में अपराध न्याय प्रणाली का कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) जैसे प्रमुख कानूनों के माध्यम से अपराधों की परिभाषा, जांच, आरोपण, और सजा के प्रावधान तय किए गए हैं।

हाल के वर्षों में, भारत में न्यायिक सुधारों और मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं–

- **ह्यूमैन राइट्स एडवाइजरी पैनल का गठन**– यह पैनल न्यायिक अधिकारियों को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संवेदनशील बनाने का कार्य करता है।
- **सजा के वैकल्पिक उपायों का विकास**– कुछ मामलों में, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के मामलों में, सजा के वैकल्पिक तरीके (मुलायम न्यायिक सुधार) को बढ़ावा दिया गया है ताकि न्यायपूर्ण और मनोवैज्ञानिक उपचार मिल सके।
- **संवेदनशीलता प्रशिक्षण**– पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संवेदनशीलता और बेहतर व्यवहार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **आधुनिक तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल**– पुलिस और न्याय व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है, जिससे शिकायतों की शीघ्र सुनवाई और कार्रवाई संभव हो पा रही है।

3. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (The Human Rights Protection Act, 1993)–”

भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण “मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993” (The Protection of Human Rights Act, 1993) है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छभ्त्ब) और राज्य मानवाधिकार आयोग (भ्त्ब) की स्थापना की गई।

यह अधिनियम मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में शिकायतों की सुनवाई और उचित कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

प्रमुख प्रावधान (Sections 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14) और उनके संशोधन—

I. धारा 2 (Section 2)– परिभाषाएँ (Definitions)

- इस धारा में विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों और शर्तों की परिभाषा दी गई है। उदाहरण के लिए, मानवाधिकारों की परिभाषा में उन अधिकारों को शामिल किया गया है जो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता, और सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
- "मानवाधिकारों का उल्लंघन" के तहत, किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव, या हिंसा को उल्लंघन माना जाता है।

II. धारा 3 (Section 3)रू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन (Constitution of the National Human Rights Commission)

- इस धारा के तहत, "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छम्बे)" का गठन किया गया, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करता है। आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं, जिनका कार्य मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिशें करना और सरकार से कार्रवाई करवाना है।

III. धारा 4 – राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commissions)

- यह धारा प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करती है। राज्य आयोग का कार्य राज्य स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और रिपोर्ट तैयार करना है।

IV. धारा 5 (Section 5)रू आयोग के कार्य और शक्तियाँ (Functions and Powers of the Commission)

- आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और अनुशंसा करने का अधिकार है। यह जांचें सरकार द्वारा लागू नीतियों के प्रभाव की भी समीक्षा कर सकती है।

V. धारा 12 (Section 12)रू आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें (Reports and Recommendations of the Commission)

- आयोग के पास अधिकार है कि वह सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। यदि आयोग के पास किसी विशेष मामले में कोई कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह सरकार से उस पर कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

VI. धारा 13 (Section 13)रू मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट (Report on Violation of Human Right)

- यह धारा आयोग को यह अधिकार देती है कि वह विभिन्न विभागों और अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर सके और उनके कामकाजी तरीकों और निर्णयों की समीक्षा कर सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

VII. धारा 14 कानूनी कार्रवाई और आदेश (Legal Proceedings and Orders)"

- आयोग के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू कर सके। आयोग किसी दोषी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है और उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर सकता है।

4. संशोधन (Amendments to the Human Rights Act)–

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कुछ संशोधन किए गए हैं जो इसके प्रभाव को और मजबूत बनाते हैं—

✓ **2006 में संशोधन (Amendment in 2006)–**

- इस संशोधन के तहत, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के चयन में पारदर्शिता बढ़ाई गई। अब अध्यक्ष और सदस्य को उच्च न्यायपालिका से अधिक जुड़े लोगों में से चुना जाता है।
- आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है, जिससे वह मानवाधिकार उल्लंघनों की अधिक प्रभावी निगरानी कर सकता है।

✓ **2020 में संशोधन (Amendment in 2020)–**

- संशोधन में आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नई प्रक्रियाओं और उपायों को जोड़ा गया, जिससे वह मानवाधिकारों के उल्लंघन की पहचान और समाधान तेजी से कर सके।

- ❖ भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान और संस्थाएं स्थापित की गई हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों का गठन कर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। यह अधिनियम मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने, सिफारिशें करने, और सरकार से उत्तरदायित्व की मांग करने के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। हालांकि, इसके बावजूद भारत में मानवाधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज, सरकार और न्यायपालिका का लगातार सहयोग और सुधार जरूरी है।

एनएचआरसी/एसएचआरसी द्वारा संरक्षित मृत्यु (Custodial Death) के संबंध में दिशानिर्देश

- ❖ भारत में "गिरफ्तारी" और "हिरासत" में मृत्यु (Custodial Death) एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानी जाती है। यह पुलिस या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत को दर्शाता है, जो कई बार पुलिस की बर्बरता, अत्याचार, या शोषण के कारण हो सकती है। ऐसी घटनाएँ मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीर स्थिति उत्पन्न करती हैं, और इसे रोकने के लिए भारत में "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छम्ब)" और "राज्य मानवाधिकार आयोग (म्ब)" ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
 - ❖ "एनएचआरसी" और "एसएचआरसी" ने यह दिशानिर्देश बनाए हैं ताकि हिरासत में होने वाली मौतों की घटना को रोका जा सके और इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य पुलिस को मानवाधिकारों का सम्मान करने और हिरासत में किसी भी व्यक्ति की मौत के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- **एनएचआरसी द्वारा हिरासत में मृत्यु के संबंध में दिशानिर्देश (NHRC Guidelines for Custodial Death)–**

1. पुलिस द्वारा हिरासत में व्यक्ति की मौत की रिपोर्टिंग (Reporting of Custodial Death by Police)–

- जब किसी व्यक्ति की हिरासत में मौत होती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी को तुरंत "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छम्ब)" को सूचित करना आवश्यक है।
- पुलिस को मृतक के परिवार को भी सूचित करना होगा और मौत की जानकारी देने के बाद उचित तरीके से पोस्टमॉर्टम और जांच की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।

- "हिरासत में मृत्यु" होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को "एनएचआरसी" को लिखित रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें मौत के कारण और प्रक्रिया का विवरण दिया जाता है।

2. तत्काल पोस्टमॉर्टम (Immediate Post&Mortem)–

- मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम "स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके" से किया जाना चाहिए। इसके लिए "एक न्यायिक मजिस्ट्रेट" की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि मौत का कारण क्या थाकृत्यया वह प्राकृतिक कारण था, किसी दुर्घटना से हुई थी, या फिर पुलिस प्रताड़ना बर्बरता के कारण।

3. किसी भी प्रकार के शारीरिक उत्पीड़न या ज्वतजनतम की जांच (Investigation of Physical Torture)–

- हिरासत में मौत का कारण "पुलिस द्वारा शारीरिक उत्पीड़न" (टॉर्चर) हो सकता है। एनएचआरसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की हिरासत में मौत होती है और उसमें शारीरिक उत्पीड़न या बर्बरता की संभावना होती है, तो उस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए।
- "किसी भी प्रकार के शारीरिक उत्पीड़न" के बारे में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

4. न्यायिक जांच (Judicial Inquiry)–

- जब हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो "न्यायिक जांच" की प्रक्रिया अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट द्वारा यह जांच सुनिश्चित करनी चाहिए कि मौत का कारण क्या था और क्या यह हिरासत में प्रताड़ना का परिणाम था या नहीं।
- न्यायिक जांच के दौरान पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और मामले की पूरी जांच की जाती है।

5. सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी (Accountability of Officers)–

- यदि हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो इस मामले में "सभी संबंधित अधिकारियों" को जवाबदेह ठहराया जाता है। इसमें पुलिस अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक की भूमिका शामिल होती है।
- "तत्कालीन पुलिस प्रमुख" और "अधिकारी" पर "दंडात्मक कार्रवाई" की सिफारिश की जाती है, यदि उनकी लापरवाही या प्रताड़ना का प्रमाण मिलता है।

6. सुनवाई के अधिकार (Right to Fair Hearing)–

- हिरासत में मृत्यु की घटना में मृतक के परिवार को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने का मौका मिलना चाहिए कि उनका पक्ष और मृत्यु के कारणों की वास्तविकता को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

7. पीड़ितों के परिवार की सहायता (Support to Victims' Family)–

- मृतक के परिवार को "मुआवजा" देने का प्रावधान भी है, खासकर अगर किसी पुलिस अत्याचार के कारण मृत्यु हुई हो।
- मृतक के परिवार को "समाज कल्याण और कानूनी सहायता" प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

➤ एसएचआरसी द्वारा हिरासत में मृत्यु के संबंध में दिशानिर्देश (SHRC Guidelines for Custodial Death)–

- राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) भी एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपने राज्यों में हिरासत में मृत्यु के मामलों में निगरानी रखता है। एसएचआरसी के दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं :

1. राज्य में स्वतंत्र जांच (Independent Investigation in the State)–

- राज्य मानवाधिकार आयोग यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के पुलिस विभाग द्वारा हिरासत में मृत्यु के मामलों की स्वतंत्र जांच की जाए।
- राज्य आयोग के सदस्य या अधिकारी जांच प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, ताकि मामले की निष्पक्षता बनी रहे।

2. मृत्यु के कारण का विश्लेषण (Analysis of Cause of Death)–

- एसएचआरसी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि मृतक की मृत्यु के कारण का सही-सही विश्लेषण किया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि मौत प्राकृतिक थी, पुलिस बर्बरता का परिणाम थी, या अन्य कारणों से हुई थी।

3. दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action)–

- राज्य आयोग संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है यदि किसी मामले में प्रताड़ना का प्रमाण मिलता है।
- पुलिस विभाग को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शामिल होती है।

4. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के उपाय (Remedies for Victims' Family)–

- एसएचआरसी मृतक के परिवार को कानूनी सहायता, मुआवजा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करता है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और वे आर्थिक रूप से भी समर्थन प्राप्त कर सकें।

- ❖ हिरासत में मृत्यु, विशेष रूप से पुलिस प्रताड़ना और शोषण के कारण होने वाली मृत्यु, भारतीय समाज में एक गंभीर चिंता का विषय है। एनएचआरसी और एसएचआरसी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को न्याय मिले, और हिरासत में किसी भी प्रकार की मौत के मामले में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही बनी रहे। इन दिशानिर्देशों का पालन पुलिस और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है ताकि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और हिरासत में मौत के मामलों में उचित कार्रवाई की जा सके।

मानवाधिकार सर्वोत्तम अभ्यास (Human Rights Best Practices) और कांस्टेबल की भूमिका :-

मानवाधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उनके जीवन, स्वतंत्रता, और गरिमा का सम्मान करने की गारंटी देता है। पुलिस विभाग में, यह सुनिश्चित करना कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, बहुत महत्वपूर्ण है। कांस्टेबलों की भूमिका इन मानवाधिकारों को बनाए रखने में अहम होती है, खासकर कस्टोडियल न्याय और बीट पेट्रोलिंग के दौरान।

1. कस्टोडियल न्याय में कांस्टेबल की भूमिका (Role of Constable in Custodial Justice)–

कस्टोडियल न्याय का मतलब है कि पुलिस हिरासत में आरोपी व्यक्ति के साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। यह सुनिश्चित करना कि हिरासत में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो और उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

- संवेदनशीलता और सम्मान: कांस्टेबल को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना देना कानूनन अपराध है और मानवाधिकार का उल्लंघन है।
- गोपनीयता और निजता: हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। उनकी पहचान और अन्य निजी जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा न किया जाए।
- सुरक्षा और देखभाल: हिरासत में रखे गए व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति की नियमित निगरानी करनी चाहिए। उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सकीय सहायता सुनिश्चित करना, कांस्टेबल की जिम्मेदारी है।
- कानूनी अधिकारों की जानकारी: कांस्टेबल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए, जैसे कि वकील से मिलने का अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार।
- पिटाई या उत्पीड़न से बचना: हिरासत में किसी भी तरह के शारीरिक उत्पीड़न, यातना या अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा को रोका जाए।
- सामाजिक, जातीय, और लिंग आधारित भेदभाव से बचना: हिरासत में लाए गए व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, या यौन पहचान के आधार पर हो।

2. बीट पेट्रोलिंग में कांस्टेबल की भूमिका (Role of Constable in Beat Patrolling):—

बीट पेट्रोलिंग का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना, और समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। कांस्टेबल को पेट्रोलिंग के दौरान विभिन्न समुदायों, व्यक्तियों और सामाजिक मुद्दों के बारे में संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए।

- सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing): कांस्टेबल को अपने क्षेत्र के निवासियों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यह तरीका समाज में पुलिस के प्रति विश्वास और सहयोग बढ़ाता है।
- रोकथाम और सुरक्षा: कांस्टेबल की जिम्मेदारी होती है कि वे विभिन्न स्थानों पर पेट्रोलिंग करके अपराधों को रोकने की कोशिश करें। यह न केवल अपराधियों को डराता है बल्कि नागरिकों को भी सुरक्षा का अहसास कराता है।
- समाज के विभिन्न वर्गों से सुलह और संवाद: बीट पेट्रोलिंग के दौरान, कांस्टेबल को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के साथ संवाद करना चाहिए। इससे वे स्थानीय मुद्दों को समझ सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- मानवाधिकार और संवेदनशीलता: पेट्रोलिंग के दौरान, कांस्टेबल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करें, चाहे वह उनका सामाजिक, जातीय, या लिंग हो। सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- दृष्टिकोण और सहानुभूति: कांस्टेबल को अपराधियों, पीड़ितों और सामान्य नागरिकों के साथ सहानुभूति और समझदारी के साथ पेश आना चाहिए। जब वे किसी अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका सामना न्यायसंगत तरीके से हो।

- कानूनी प्रक्रिया का पालन: कांस्टेबल को हर कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न करें और कोई भी कार्रवाई अवैध न हो।
- पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाना: कांस्टेबल की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता के साथ मिलकर काम करें, ताकि पुलिस पर उनके विश्वास को मजबूत किया जा सके। यह पुलिस विभाग की छवि को भी बेहतर बनाता है।

3. बीट पेट्रोलिंग के दौरान कुछ विशेष दिशानिर्देश (Special Guidelines during Beat Patrolling):-

- समय और गश्त: कांस्टेबल को निर्धारित समय पर गश्त करनी चाहिए और विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर पेट्रोलिंग करना चाहिए।
- नम्रता और पेशेवर व्यवहार: कांस्टेबल को हमेशा नम्र और पेशेवर तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे किसी भी सार्वजनिक स्थिति में पुलिस का अच्छा चेहरा प्रस्तुत कर सकें।
- सुरक्षा की स्थिति की जांच: गश्त के दौरान कांस्टेबल को हर इलाके की सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेना चाहिए और किसी भी असामान्य गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए।
- फिरौती और आतंकवाद से सुरक्षा: कांस्टेबल को क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि फिरौती, आतंकवाद या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि का संकेत।
- चेतावनी और जन जागरूकता: जनता को कानून और व्यवस्था के बारे में सतर्क करना, जैसे यातायात नियमों, आपदा प्रबंधन और किसी भी आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर उन्हें सूचना देना।

भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन और पुलिस की भूमिका (General Human Rights Violation in India and Role of Police)

- ❖ भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब किसी व्यक्ति या समूह को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान और न्याय। भारत में यह उल्लंघन विभिन्न रूपों में होता है, जिसमें पुलिस, सरकारी एजेंसियां और अन्य संस्थाएं शामिल हो सकती हैं।
- ❖ इस विषय में, हम मानवाधिकारों के उल्लंघन को समझेंगे, भारत में होने वाले मानवाधिकारों के विभिन्न प्रकार के शोषण को देखेंगे, और पुलिस की भूमिका को भी समझेंगे।

1. मानवाधिकारों का उल्लंघन (Understanding Human Rights Violations)-

- मानवाधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब किसी व्यक्ति को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है, जो उसे मानव के रूप में जन्म से ही मिलते हैं। ये अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, यानी हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, या किसी भी अन्य भेदभाव के बिना ये अधिकार मिलते हैं।

मानवाधिकारों का उल्लंघन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है-

- ✓ "कानूनी सुरक्षा का अभाव" जब सरकार या न्यायिक व्यवस्था उचित सुरक्षा और कानूनी उपाय नहीं प्रदान करती।
- ✓ "पुलिस और प्रशासनिक उत्पीड़न" जब पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा अवैध कार्रवाई की जाती है, जैसे कि शारीरिक प्रताड़ना, झूठे मामलों में फंसाना आदि।
- ✓ "सामाजिक भेदभाव" जातिवाद, धर्मवाद, लिंगभेद और अन्य प्रकार के भेदभाव के कारण कुछ समूहों के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई रूप हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं—

- ✓ "पुलिस की बर्बरता (Police Brutality)"
- ✓ "यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)"
- ✓ "बचपन का शोषण (Child Exploitation)"
- ✓ "गिरफ्तारी और शारीरिक उत्पीड़न (Torture and Custodial Deaths)"
- ✓ "धार्मिक और जातीय भेदभाव (Religious and Caste-based Discrimination)"

2. भारत में मानवाधिकारों का शोषण (Types of Human Rights Abuse in India)—

- भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन विभिन्न रूपों में होता है। कुछ प्रमुख प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन निम्नलिखित हैं—

i) पुलिस द्वारा उत्पीड़न (Police Brutality and Torture)—

- पुलिस द्वारा उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना मानवाधिकारों का उल्लंघन का एक गंभीर रूप है। यह प्रायः गिरफ्तारी के दौरान या पूछताछ के दौरान होता है, जहाँ पुलिस आरोपियों पर शारीरिक और मानसिक शोषण करती है, जिससे उनके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान का उल्लंघन होता है।
- **Custodial Deaths**— जब गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसी घटनाएं अक्सर पुलिस की बर्बरता, अत्याचार और शारीरिक उत्पीड़न के कारण होती हैं।

ii) भेदभाव (Discrimination)—

- भारत में जातिवाद, लिंगभेद, धार्मिक भेदभाव और अन्य सामाजिक भेदभाव एक आम समस्या है। यह भेदभाव सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर होता है और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है।
 - **दलितों और आदिवासियों का शोषण**— विशेष रूप से "दलितों" और "आदिवासियों" के साथ जातिवाद के कारण भेदभाव किया जाता है, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।
 - **लिंग भेदभाव**— महिलाओं और लिंग-विरोधी समुदायों के साथ भेदभाव होता है, जो उनके समाज में समान अधिकारों के लिए संघर्ष का कारण बनता है।

iii) महिलाओं का उत्पीड़न (Women's Exploitation)—

- महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है। इसमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, तस्करी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा शामिल है।
 - **यौन उत्पीड़न और बलात्कार**— महिलाएं अक्सर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। यह न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।

iv) बाल अधिकारों का उल्लंघन (Child Rights Violations)–

- भारत में बाल श्रम, बाल विवाह और बच्चों के शारीरिक और मानसिक शोषण के मामले आम हैं।
- **बाल श्रम**– बच्चों को उनके स्कूल जाने के अधिकार से वंचित करना और उन्हें काम करने के लिए मजबूर करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
- **बाल तस्करी**– बच्चों को अवैध रूप से तस्करी करके ले जाना और उनका शोषण करना भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

v) मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता का शोषण (Abuse of Persons with Mental Illness and Disabilities)–

- मानसिक रूप से अस्वस्थ और शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव और शोषण होता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य**– मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के साथ पुलिस या समाज द्वारा भेदभाव किया जाता है। इन लोगों को अक्सर समाज में उपेक्षित और तिरस्कृत किया जाता है, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।

vi) लिंगीय और यौनिक शोषण (Gender and Sexual Minorities Abuse)–

- एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य अक्सर सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करते हैं। इनका शोषण मानसिक, शारीरिक और यौन रूप से किया जाता है।
- **एलजीबीटीक्यू अधिकारों का उल्लंघन**– इन समुदायों के अधिकारों को नकारा जाता है और उन्हें हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

vii) प्रवासी श्रमिकों का शोषण (Exploitation of Migrant Workers)–

- भारत में लाखों प्रवासी श्रमिक होते हैं, जो विभिन्न कारणों से दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। उन्हें अक्सर उचित सुरक्षा, वेतन और रहने की जगह नहीं मिलती है।
- **शोषण और तस्करी**– प्रवासी श्रमिकों को शोषण, दुर्व्यवहार और तस्करी का शिकार बनाया जाता है, जिससे उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

3. पुलिस की भूमिका (Role of Police in Human Rights Violations)–

- भारत में पुलिस बल का काम नागरिकों की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन कई बार पुलिस अधिकारियों की लापरवाही, शोषण और अत्याचार के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पुलिस की कुछ प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

प) मानवाधिकारों की सुरक्षा (Protection of Human Rights)–

- पुलिस बल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो, और कानून का पालन करने में मदद मिले। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, और कमजोर वर्गों के अधिकारों का सम्मान किया जाए।

ii) गिरफ्तारी और पूछताछ में निष्पक्षता (Fairness in Arrest and Interrogation)–

- पुलिस को गिरफ्तारी के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। गिरफ्तारी और पूछताछ में "पुलिस को तटस्थ" और "निष्पक्ष" होना चाहिए।

iii) शारीरिक उत्पीड़न की रोकथाम (Prevention of Torture)–

- पुलिस को शारीरिक उत्पीड़न और बर्बरता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा, बलात्कार या शारीरिक शोषण न हो।

iv) नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन रोकना (Preventing Violation of Citizens' Right)–

- पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी नागरिक के साथ भेदभाव न हो, और उन्हें उनके अधिकारों के अनुसार उचित सुरक्षा और उपचार मिले।
- ❖ भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर और जटिल समस्या है, जो समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है। यह पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पुलिस को अपनी भूमिका को समझते हुए, “मानवाधिकारों का सम्मान” करते हुए, और “निष्पक्षता” से काम करना चाहिए ताकि समाज में शांति और न्याय की स्थिति बनी रहे। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई और सजा सुनिश्चित करने से ही इन उल्लंघनों पर काबू पाया जा सकता है।

मानवाधिकारों का संरक्षण (Protection of Human Rights)

- ❖ मानवाधिकारों का संरक्षण समाज के हर सदस्य के लिए आवश्यक है, ताकि वह अपने जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों का उपयोग कर सके। मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानूनों और नीतियों के माध्यम से ही संभव है, बल्कि इसके लिए संबंधित संस्थाओं और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना होता है।
- ❖ भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान और संस्थाएं हैं, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) प्रमुख हैं। इन संस्थाओं के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों का निवारण, अपराधों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- ❖ इस संदर्भ में, “शिकायतों का निवारण” और “कानून-व्यवस्था की स्थिति में मानवाधिकारों का संरक्षण” महत्वपूर्ण हैं, और यह दोनों पहलू मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं।

1. शिकायतों का निवारण (Redressal of Complaints)–

- मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर “शिकायत का निवारण” एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। शिकायतों का निवारण विभिन्न चरणों में किया जाता है, जिसमें पीड़ित को उचित उपायों से न्याय प्रदान करना, जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से अंजाम देना और अंत में कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है।

❖ शिकायत निवारण की प्रक्रिया (Complaint Redressal Process)–

1. “शिकायत दर्ज करना (Filing a Complaint)–

- यदि किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)” या “राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)” में शिकायत दर्ज कर सकता है।
- इसके अलावा, पुलिस थाने, महिला आयोग, बाल आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं में भी शिकायत की जा सकती है।

2. “शिकायत की प्रारंभिक जांच (Preliminary Investigation)–

- आयोग शिकायत प्राप्त होने के बाद उसकी प्रारंभिक जांच करता है, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

- जांच में यह भी देखा जाता है कि क्या आरोपी पर उचित कार्रवाई की जा सकती है या क्या मामला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा।

3. "वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट (Status Report)–

- यदि शिकायत वैध पाई जाती है, तो आयोग संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मांगता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति और आरोपियों के बयानों, तथ्यों और अन्य सबूतों की समीक्षा की जाती है।
- आयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों से स्थिति रिपोर्ट भी प्राप्त करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले की जांच सही तरीके से हो रही है।

4. "सुनवाई (Hearing)–

- यदि जांच के दौरान उल्लंघन पाया जाता है, तो आयोग सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करता है। इस दौरान पीड़ित को अपने पक्ष रखने का अधिकार होता है।
- मामले के आधार पर आयोग दोषी अधिकारियों या संस्थाओं के खिलाफ सिफारिशें कर सकता है, जैसे कि मुआवजा, दंडात्मक कार्रवाई, सुधारात्मक उपाय, आदि।

5. "निर्णय (Decision)–

- आयोग मामले की जांच पूरी करने के बाद एक निर्णय सुनाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि उल्लंघन हुआ था या नहीं, और किसे दोषी ठहराया जाता है।
- यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, तो दोषियों के खिलाफ सजा का निर्धारण किया जाता है।

6. "मुआवजा और सुधारात्मक उपाय (Compensation and Corrective Measures)–

- यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, तो आयोग पीड़ित को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है।
- इसके अलावा, दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन से बचा जा सके।

2. कानून–व्यवस्था की स्थिति में मानवाधिकारों की चिंता (Human Rights Concern in Duties of Law∧Order Situation)–

- भारत में पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, कई बार कानून–व्यवस्था की स्थिति में पुलिस की कार्रवाई मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकती है। विशेष रूप से दंगों, दमनकारी कार्रवाइयों, और हिंसा की स्थिति में, पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी शक्ति का गलत उपयोग न करें, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें।

❖ मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियाँ (Situations of Human Rights Violations in Law and Order Duty)–

1. "दंगा और हिंसा के दौरान पुलिस की बर्बरता (Police Brutality during Riots and Violence)–

- जब दंगा या सामाजिक अशांति होती है, तो पुलिस को सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन कई बार यह कार्रवाई इतनी बर्बर होती है कि नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है।
- "पुलिस बर्बरता" के उदाहरणों में बिना कारण के लाठियाँ मारना, अवैध गिरफ्तारियां, शारीरिक उत्पीड़न, और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शामिल है।

2. "गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अत्याचार (Torture during Arrest and Interrogation)–

- गिरफ्तारियों के दौरान कई बार पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्याचार किया जाता है। यह अक्सर प्सच्चाई⁶ हासिल करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
- हिरासत में प्रताड़ना (ब्लेजवकपंस ज्वतजनतम) और "गिरफ्तारी के बाद की मौत (ब्लेजवकपंस क्मंजी)" जैसे मामलों में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं।

3. "बिना वारंट के गिरफ्तारी (Arrest without Warrant)–'

- कई बार पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाती है, जो सीधे तौर पर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है।
- यदि गिरफ्तारी बिना कारण या उचित जांच के की जाती है, तो यह संविधान और मानवाधिकारों के खिलाफ है।

4. "न्यायिक प्रक्रिया से पहले दमन (Repression before Judicial Process)–

- कानून-व्यवस्था की स्थिति में कभी-कभी पुलिस द्वारा बिना जांच-पड़ताल के दमनकारी कार्रवाई की जाती है। यह नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया से पहले अपनी बात रखने का अधिकार है।

5. "भेदभावपूर्ण कार्रवाई (Discriminatory Actions)–

- पुलिस की कार्रवाई कभी-कभी भेदभावपूर्ण होती है, खासकर धर्म, जाति, लिंग या अन्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर। यह पुलिस की निष्पक्षता और तटस्थता को प्रभावित करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

3. पुलिस की भूमिका (Role of Police in Human Rights Protection during Law&andOrder Situations)–

कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए पुलिस का मुख्य उद्देश्य "न्यायपूर्ण" और "मानवाधिकारों के अनुसार" कार्रवाई करना होना चाहिए।

❖ मानवाधिकारों की रक्षा में पुलिस की जिम्मेदारी–

1. "निष्पक्ष और तटस्थ रहना (Being Impartial and Neutral)–

- पुलिस को अपने कार्यों में निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। उन्हें किसी भी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पुलिस का काम है कानून के हिसाब से कार्रवाई करना, न कि व्यक्तिगत विचारों या पूर्वाग्रहों के आधार पर।

2. "कानूनी अधिकारों का सम्मान (Respecting Legal Rights)–

- पुलिस को प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि गिरफ्तारी के समय उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, उनके पास वकील रखने का अधिकार देना, और दमनकारी कार्रवाई से बचना।

3. "शारीरिक उत्पीड़न से बचना (Avoiding Physical Torture)–

- पुलिस को किसी भी आरोपी के साथ शारीरिक उत्पीड़न से बचना चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान केवल आवश्यक बल का ही उपयोग किया जाना चाहिए, और इससे अधिक बल का प्रयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन करेगा।

4. "आत्म-नियंत्रण और विवेक का उपयोग (Self-control and Use of Discretion)–

- पुलिस को कानून-व्यवस्था की स्थिति में आत्म-नियंत्रण और विवेक का उपयोग करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा का प्रयोग केवल आवश्यक परिस्थितियों में किया जाए, और वह भी न्यूनतम सीमा तक।

- ❖ मानवाधिकारों का संरक्षण हर समाज में एक प्रमुख जिम्मेदारी है, जो किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। "शिकायतों का निवारण" और "कानून-व्यवस्था की स्थिति में मानवाधिकारों का सम्मान" सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि समाज में न्याय और शांति बनी रहे। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और उन्हें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मानवाधिकारों की सुरक्षा न केवल कानून के दाय

महत्वपूर्ण मानवाधिकार निर्णय (Important Human Rights Judgments)

मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण में न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण दिया जा रहा है:

- 1. निर्भया कांड(Nirbhaya Case)(2012) और महिला अधिकारों की सुरक्षा**
निर्भया कांड के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस फैसले ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें उजागर की, जैसे: लिंग आधारित हिंसा: महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में पुलिस और न्यायपालिका का संवेदनशीलता से व्यवहार करना। सीधी सजा: आरोपी को कड़ी सजा देने के निर्णय ने समाज में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता को बढ़ाया।
- 2. आंध्र प्रदेश बनाम श्रीधर (Andhra Pradesh v- Sridhar) (2006)** इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि "पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता।" यह फैसला पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले मामलों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले में, कोर्ट ने कहा कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को पूरी तरह से कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
- 3. राजबीर सिंह बनाम हरियाणा सरकार (Rajbir Singh v- Haryana Govt.) (2003)** इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "पुलिस द्वारा यातना देना, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करना मानवाधिकार का उल्लंघन है।" न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी भी हिरासत में आरोपी या आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह फैसला कस्टोडियल यातना के मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था।
- 4. बजरंग वर्मा बनाम राज्य (Bajrang Verma v- State) (2001)** इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि "मानवाधिकारों का उल्लंघन समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में अवरोध पैदा करता है।" यह फैसला विशेष रूप से पीड़ितों और अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए था।
- 5. विकास व. उत्तर प्रदेश राज्य (Vikas v- State of Uttar Pradesh) (2014)** इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें यह कहा गया कि "किसी भी आरोपी को अपराधी मानने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।" इस फैसले से यह संदेश मिला

कि प्रत्येक आरोपी के पास निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, और उसे न्यायिक प्रणाली द्वारा पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ (Important Remarks) – पीड़ित, शिकायतकर्ता, गवाह, और आरोपी के साथ व्यवहार पर

1. पीड़ित (Victim) के साथ व्यवहार:—

- संवेदनशीलता और सहानुभूति: पीड़ित के साथ हमेशा सहानुभूति और संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाना चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए।
- गोपनीयता का पालन: पीड़ित की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। पीड़ित को न्याय मिलने तक किसी भी प्रकार की जानकारी लीक नहीं करनी चाहिए।
- सुरक्षा का ध्यान: पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को। उन्हें शारीरिक और मानसिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

2. शिकायतकर्ता (Complainant) के साथ व्यवहार:—

- मानवाधिकारों का सम्मान: शिकायतकर्ता के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- संवेदनशीलता और विश्वास: शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने के दौरान पूरी सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी दी जानी चाहिए।
- समय पर कार्रवाई: शिकायतों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि शिकायतकर्ता को न्याय मिल सके।

3. गवाह (Witness) के साथ व्यवहार:—

- गवाह का संरक्षण: गवाह को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, खासकर जब वह किसी अपराध या अपराधी के खिलाफ गवाही दे रहे हों।
- निष्पक्षता: गवाह से पूछताछ करते समय कोई दबाव नहीं डालना चाहिए और उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
- गोपनीयता: गवाह की पहचान और बयान की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। उनका बयान स्वतंत्र और बिना किसी भय के लिया जाना चाहिए।

4. आरोपी (Accused) के साथ व्यवहार:—

- न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन: आरोपी को कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करते हुए न्याय दिलाया जाना चाहिए। वह निर्दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए: आरोपी के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, यातना, या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- सुनवाई का अधिकार: आरोपी को उचित कानूनी सहायता मिलनी चाहिए और उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग, एससी-एसटी आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पुलिस जांच के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए एसओपी, और एनजीओ की भूमिका –

- ❖ भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और उल्लंघन के मामलों में विभिन्न आयोगों और संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से प्रमुख हैं "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)", "राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)", "एससी-एसटी आयोग", "महिला आयोग", "बाल आयोग", "अल्पसंख्यक आयोग", और अन्य। ये संस्थाएँ मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती हैं, उनके खिलाफ सजा और दंड सुनिश्चित करती हैं, और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा, "एनजीओ (गैर सरकारी संगठन)" भी मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन, कार्य और शक्तियाँ

गठन (Formation)–

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (छम्ह) भारत सरकार द्वारा 1993 में "मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम" (क्लवजमबजपवद वभिन्नुंद त्पहीजे। बज, 1993) के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करना और उल्लंघन के मामलों की जांच करना है।

कार्य (Functions)–

- मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकना– NHRC का मुख्य कार्य नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना है, खासकर उन अधिकारों का जो संविधान और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत सुनिश्चित किए गए हैं।
- शिकायतों की जांच– यदि किसी व्यक्ति या समूह के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो छम्ह उस मामले की जांच करता है।
- अधिकारों के प्रति जागरूकता– NHRC लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है और इससे संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता है।
- रिपोर्ट और सिफारिशें– NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सरकार को रिपोर्ट और सिफारिशें प्रदान करता है।

शक्तियाँ (Powers)–

- जांच का अधिकार– NHRC को किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच करने का अधिकार है।
- मुआवजा तय करना– NHRC यह सिफारिश कर सकता है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाए।
- सिफारिशों का पालन कराना– NHRC सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं को मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकता है।

2. राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission)

- ✓ राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) हर राज्य में छम्ब के समान कार्य करता है। इसके गठन, कार्य और शक्तियाँ भी छम्ब से मिलती-जुलती होती हैं, लेकिन यह केवल राज्य स्तर पर काम करता है। राज्य आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, और राज्य सरकार को संबंधित सिफारिशें करता है।

3. एससी-एसटी आयोग (SC/ST Commission)

गठन और उद्देश्य-

- ✓ एससी-एसटी आयोग का गठन "भारत सरकार" द्वारा "एससी-एसटी अधिकार संरक्षण अधिनियम" (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) के तहत किया गया था।
- ✓ इसका मुख्य उद्देश्य "अनुसूचित जातियों (SC)" और "अनुसूचित जनजातियों (ST)" के अधिकारों की रक्षा करना, उत्पीड़न और भेदभाव को रोकना, और इन समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है।

कार्य-

- ✓ एससी-एसटी समुदाय के लोगों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा के मामलों की जांच करना।
- ✓ न्यायिक सिफारिशें करना, मुआवजा और सजा की सिफारिश करना।
- ✓ एससी-एसटी के अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना।

4. महिला आयोग (Women's Commission)

गठन और उद्देश्य-

- ✓ महिला आयोग का गठन महिला अधिकारों के संरक्षण और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ काम करने के लिए किया गया था।

कार्य-

- ✓ महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, और अन्य शोषण के मामलों की जांच करना।
- ✓ महिलाओं के लिए कानूनों में सुधार की सिफारिश करना और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करना।

5. बाल आयोग (Children's Commission)

गठन और उद्देश्य-

- ✓ बाल आयोग का गठन बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए किया गया था।

कार्य-

- ✓ बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों और शोषण के मामलों की जांच करना।
- ✓ बाल श्रम, बाल तस्करी, और बच्चों के शारीरिक/ध्मानसिक शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।
- ✓ बच्चों के लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

6. अल्पसंख्यक आयोग (Minority Commission)

गठन और उद्देश्य-

- ✓ अल्पसंख्यक आयोग का उद्देश्य "धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों" के अधिकारों की रक्षा करना है।

कार्य-

- ✓ अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन रोकना और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
- ✓ अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए योजनाएँ और सिफारिशें तैयार करना।
- ✓ अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा, और उत्पीड़न की जांच करना।

7. पुलिस जांच में एनएचआरसी द्वारा दिए गए एसओपी (SOP Regarding Police Investigation in Custodial Crimes Given by NHRC)

- एनएचआरसी ने "हिरासत में अपराध (Custodial Crimes)" के मामलों में पुलिस की कार्रवाई के लिए "मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)" जारी की है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि हिरासत में किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न न हो।

एसओपी के मुख्य बिंदु-

- **तत्काल सूचना देना-** हिरासत में हुई मौत या उत्पीड़न की जानकारी तुरंत परिवार और संबंधित मानवाधिकार आयोग को देनी चाहिए।
- **स्वतंत्र जांच-** मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एक स्वतंत्र अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा।
- **पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट-** पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करना और उसे ठीक से रिकॉर्ड करना।
- **पुलिस के लिए प्रशिक्षण-** पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे हिरासत में उत्पीड़न से बच सकें।

8. एनजीओ की भूमिका (Role of NGOs)

- गैर सरकारी संगठन (NGOs) भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन अक्सर नागरिक समाज का हिस्सा होते हैं और वे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं।

❖ एनजीओ की भूमिका के कुछ प्रमुख पहलू-

1. मानवाधिकारों की रक्षा-

- एनजीओ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को कानूनी मदद और समर्थन प्रदान करते हैं।
- वे पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, और सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं।

2. जागरूकता फैलाना-

- एनजीओ मानवाधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ, सेमिनार, और अभियान चलाते हैं।
- वे कानूनों और सरकारी योजनाओं के बारे में समुदाय को जानकारी देते हैं।

3. मदद और प्रतिनिधित्व-

- एनजीओ पीड़ितों को सरकार और न्यायपालिका के सामने प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

- वे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को उठा सकते हैं और कार्रवाई के लिए संघर्ष कर सकते हैं।

4. निगरानी और रिपोर्टिंग—

- एनजीओ मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी रखते हैं और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ताकि सत्तारूढ़ सरकारों को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- ❖ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत में विभिन्न आयोगों और संस्थाओं का गठन किया गया है, जिनकी प्रमुख भूमिका मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग", "राज्य मानवाधिकार आयोग", "एससी-एसटी आयोग", "महिला आयोग", "बाल आयोग", "अल्पसंख्यक आयोग" और "एनजीओ" इन सभी संस्थाओं और संगठनों का कार्य एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना और समाज में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। एनएचआरसी और अन्य आयोगों द्वारा दी गई "एसओपी" से यह सुनिश्चित होता है कि हिरासत में उत्पीड़न और अपराध को सख्ती से रोका जाए, और न्यायालयों और संस्थाओं द्वारा उचित कार्रवाई की जाए।

Module A-02: Preventive Measures (78 sessions)

Paper 1 BNSS (08 sessions)

धारा 125 दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्डादेश देते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए, बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 11 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, जो धारा 193 की उपधारा (1) या धारा 196 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय अपराध से भिन्न है;

(ख) कोई ऐसा अपराध जो, या जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि करना है;

(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध;

(घ) कोई अन्य अपराध, जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है।

(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंधपत्र या जमानतपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।

धारा 127 कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर—

(i) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात् :—

(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के अधीन दण्डनीय है; या

(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है; या

(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता, प्रकाशित करता या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है, और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति – जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इतिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

धारा 129 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति – जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इतिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो –

(क) अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है; या

(ख) चुराई हुई संपत्ति का, उसे चुराई हुई जानते हुए, अभ्यासतः प्रापक है; या

(ग) अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है; या

(घ) व्यपहरण, अपहरण, उद्घापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 10 के अधीन या उस संहिता की धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 181 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है; या

(ङ) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जिनमें परिशांति भंग समाहित है; या

(च) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो –

(i) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात् : –

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23);

(ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31);

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19);

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10);

(ड) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22);

(च) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);

(छ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34); या

(ii) जमाखोरी या मुनाफाखोरी या खाद्य या ओषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध है; या

(छ) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए जमानतपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।

धारा 130 आदेश का, दिया जाना – जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या 129, के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इतिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश देगा।

धारा 131 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया – यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है, न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे से पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि यह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा।

धारा 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है – यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निदेश देते हुए वारंट जारी करेगा

- **परन्तु** जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इतिला पर (जिस रिपोर्ट या इतिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा), यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता है तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकेगा।

धारा 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी – धारा 132 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 130 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है।

धारा 134 वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति – यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और अधिवक्ता द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकेगा।

धारा 135 ईतला की सच्चाई के बारे में जाँच – (1)जब धारा 130 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में उपस्थित हो, धारा 131 के अधीन पढ़कर सुनाया या समझा दिया गया है, या जब कोई व्यक्ति धारा 132 के अधीन जारी किये गये समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस ईतला की सच्चाई के बारे में जाँच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्यवाही की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(2) ऐसी जाँच यथा साध्य, उस रिति से कि जायेगी जो सम्मन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात विहित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन जाँच प्रारम्भ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरन्त उपाय करने आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हे लेखबद्ध किया जायेगा, उस व्यक्ति को, जिसके बारे में धारा 130 के अधीन आदेश दिया गया है, निर्देश दे सकता है कि वह जाँच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करें और जब तक ऐसा बंदपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जाँच समाप्त नहीं हो जाती है, उसे अभिरक्षा में निरूद रख सकता है।

● **परन्तु -**

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 127,128,129 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जायेगा।

(ख) ऐसे बंदपत्र के शर्तें, चाहे वे उसकी रकम के बारे में या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व के धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 130 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट है।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुस्साहिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए संकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है।

(5) जहाँ दो या अधिक व्यक्ति जाँच के अधीन विषय में सहयुक्त रहे हैं वहाँ मजिस्ट्रेट एक ही जाँच या पृथक जाँचों में, जैसा वह न्यायसंगत समझे उनके बारे में कार्यवाही कर सकता है।

(6) इस धारा के अधीन जाँच उसके आरम्भ की तारीख से छह: मास की अवधि के अन्दर पूरी की जायेगी, और यदि जाँच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर, पर्यवसित जो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर, जो लेखबद्ध किये जाएंगे, मजिस्ट्रेट अन्यथा आदेश नहीं करता है।

परन्तु - जहाँ कोई व्यक्ति ऐसी जाँच के लंबित रहने के दौरान निरूद रखा गया है वहाँ उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोद के छह:मास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी।

(7) जहाँ कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा (6) के अधीन निर्देश किया जाता है वहाँ सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किये गये आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वहा किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनूचित था।

धारा 152 न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश - (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि—

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरुद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए; या

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या

विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए; या

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए या (घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है;

(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके; या

(च) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह –

(i) ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे या

(ii) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निदिष्ट की जाए या ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निदिष्ट की जाए या

(iii) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे; या

(iv) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलंब लगाए या ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए; या

(v) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए; या

(vi) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है, या यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

■ **स्पष्टीकरण** – “लोक स्थान” के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं।

न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामले

धारा 163 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति—(1) उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जिसमें मामले के तात्त्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य-विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने

प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निदेश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निदेश से यह संभाव्य है, या ऐसे निदेश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निदिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निदिष्ट किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगा; किन्तु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छह मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता।

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद – पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी; और यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

घ. स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद

धारा 164 जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना सम्भाव्य है वहां प्रक्रिया— (1) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भूमि या जल" पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निदिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो; लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था :

- **परन्तु** यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) इस धारा की कोई बात, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किन्तु उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषयवस्तु का विवाद पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा और जब वह उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है।

(ख) इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निदेश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे।

(10) इस धारा की कोई बात धारा 126 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी।

धारा 165 विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति—(1) यदि धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करते के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है या यदि वह विनिश्चय करता? कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है **परन्तु** यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है।

(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो, यह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है या यदि वह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन रिसीवर की होती हैं

- **परन्तु** यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट—

(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषयवस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा

(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो न्यायसंगत हैं।

धारा 166 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) का उद्देश्य भूमि या जल के उपयोग से संबंधित ऐसे विवादों का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान करना है, जिनसे लोक शांति भंग होने की संभावना हो। यह प्रावधान मुख्य रूप से प्रशासनिक और निवारक प्रकृति का है, न कि दंडात्मक। इसका आशय यह है कि जब किसी क्षेत्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षों के बीच किसी भूमि, रास्ते, नहर, तालाब, कुएँ या अन्य जलस्रोत के उपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हो और उस विवाद के कारण शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त होता है।

इस धारा के अंतर्गत, यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या किसी अन्य विश्वसनीय सूचना से यह संतोष हो जाता है कि ऐसा विवाद विद्यमान है और उससे लोक शांति भंग हो सकती है, तो वह लिखित आदेश जारी करता है। इस आदेश में संबंधित पक्षकारों को निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने दावे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। इसका उद्देश्य यह होता है कि मजिस्ट्रेट को यह समझने में सुविधा हो कि विवाद किस प्रकार का है और किस आधार पर प्रत्येक पक्ष अपना अधिकार जता रहा है।

मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के लिखित कथनों का अध्ययन करता है, उन्हें सुनता है और आवश्यकता होने पर साक्ष्य भी ले सकता है। इसके पश्चात् वह यह निर्णय करता है कि विवादित भूमि या जल के उपयोग का अधिकार वास्तव में किस पक्ष को प्राप्त है या ऐसा कोई अधिकार अस्तित्व में है या नहीं। यह निर्णय मुख्यतः अस्थायी और शांति बनाए रखने की दृष्टि से होता है, ताकि क्षेत्र में तनाव न बढ़े और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

पुलिस प्रशिक्षण की दृष्टि से यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि धारा 166 का प्रयोग विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि विवाद को शांत करने के लिए किया जाता है। जब थाना क्षेत्र में भूमि या जल से संबंधित झगड़े की सूचना मिले और उससे हिंसा या शांति भंग की आशंका हो, तो पुलिस का कर्तव्य है कि स्थिति का आकलन कर संबंधित रिपोर्ट उच्चाधिकारी अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजे, जिससे धारा 166 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सके। पुलिस को तटस्थ रहते हुए दोनों पक्षों को संयमित करने, झगड़े से रोकने और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने की भूमिका निभानी चाहिए।

इस प्रकार धारा 166 ठीक एक महत्वपूर्ण निवारक प्रावधान है, जो प्रशासन और पुलिस को यह शक्ति देता है कि वे भूमि और जल उपयोग से जुड़े विवादों को समय रहते नियंत्रित कर सकें और समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रख सकें। यह धारा पुलिस कांस्टेबल के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फील्ड ड्यूटी के दौरान ऐसे विवाद अक्सर सामने आते हैं और सही कानूनी जानकारी होने से वह स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकता है।

Paper-3 Minor Acts (03 session)

गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967

धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

यह अधिनियम "गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967" कहलाता है। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश में लागू होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और एकता के विरुद्ध की जाने वाली गतिविधियों को रोकना तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है और समय-समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं।

धारा 2 – परिभाषाएँ (Definitions)

इस धारा में अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा दी गई है, जैसेकृ "गैरकानूनी गतिविधि", "आतंकवादी कृत्य", "आतंकवादी संगठन", "आतंकवादी गिरोह", "संपत्ति", "व्यक्ति", "निधि" आदि।

"गैरकानूनी गतिविधि" से तात्पर्य ऐसी किसी भी क्रिया से है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या एकता के विरुद्ध हो या उसे खतरे में डालती हो। इन परिभाषाओं का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों की सही व्याख्या और अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है।

धारा 10 – गैरकानूनी संगठन की सदस्यता का दंड

यदि कोई व्यक्ति ऐसे संगठन का सदस्य है, जिसे सरकार द्वारा "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया गया है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। ऐसे व्यक्ति को कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य गैरकानूनी संगठनों की गतिविधियों को कमजोर करना तथा उनके लिए जन-समर्थन और मानव संसाधन को समाप्त करना है।

धारा 13 – गैरकानूनी गतिविधि के लिए दंड

जो कोई व्यक्ति किसी गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेता है, उसे उकसाता है या सहायता करता है, वह इस धारा के अंतर्गत दंड का भागी होगा। दंड में कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। यह धारा सीधे तौर पर उन कार्यों को लक्षित करती है जो देश की सुरक्षा और अखंडता के विरुद्ध हों।

धारा 14 – गैरकानूनी संगठन के लिए दंड

यदि कोई संगठन गैरकानूनी घोषित किया जाता है और वह अपनी गतिविधियाँ जारी रखता है, तो उसके सदस्यों, प्रबंधकों या संचालन से जुड़े व्यक्तियों पर इस धारा के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे संगठनों को पूरी तरह निष्क्रिय करना है।

धारा 15 – आतंकवादी कृत्य की परिभाषा

इस धारा में यह बताया गया है कि आतंकवादी कृत्य क्या होता है। ऐसा कोई भी कार्य जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाले, जनता में भय उत्पन्न करे, या सरकार को विवश करने के उद्देश्य से किया जाए, आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसमें विस्फोटक पदार्थों का उपयोग, हथियारों का प्रयोग, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, या लोगों की जान को खतरे में डालना शामिल है।

धारा 16 – आतंकवादी कृत्य के लिए दंड

जो कोई आतंकवादी कृत्य करता है, उसके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान है। परिस्थितियों के अनुसार आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 38 – आतंकवादी संगठन से संबद्धता

यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ पाया जाता है, चाहे वह सक्रिय रूप से कार्य करे या किसी भी रूप में सहयोग करे, तो वह दंडनीय होगा। यह प्रावधान आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बनाया गया है।

धारा 39 – आतंकवादी संगठन को समर्थन

जो कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन को जानबूझकर समर्थन देता है, प्रचार करता है, सहायता प्रदान करता है या किसी प्रकार से सहयोग करता है, वह इस धारा के अंतर्गत दंड का भागी होगा।

धारा 40 – आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाना

यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन के लिए धन एकत्र करता है, उपलब्ध कराता है या धन के स्रोतों की व्यवस्था करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत गंभीर अपराध का दोषी होगा।

धारा 45 – अभियोजन हेतु पूर्व स्वीकृति

इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से पहले सक्षम सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम का प्रयोग सोच-समझकर और विधिक प्रक्रिया के अनुसार हो।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act – NSA)**धारा 3 – निरोध (Preventive Detention) का आदेश देने की शक्ति**

इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनके द्वारा अधिकृत जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी व्यक्ति को निरोध में लेने का आदेश दे सकते हैं, यदि उन्हें यह संतोष हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है। निरोध का उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति को भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति और वितरण को बनाए रखने से संबंधित कार्यों के प्रतिकूल गतिविधियाँ करने से रोका जा सके।

यह एक निवारक (क्वामअमदजपअम) व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति को भविष्य में संभावित हानिकारक कार्यों से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।

धारा 4 – निरोध आदेश का निष्पादन

इस धारा के अनुसार, निरोध आदेश को उसी प्रकार निष्पादित किया जाएगा जैसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जाता है। निरुद्ध व्यक्ति को विधिपूर्वक हिरासत में लिया जाएगा और उसे निर्दिष्ट निरोध स्थान पर रखा जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निरोध की प्रक्रिया विधि के अनुरूप हो।

धारा 5 – निरोध आदेश की वैधता

यदि किसी निरोध आदेश में एक से अधिक आधार (हतवनदके) दिए गए हों और उनमें से कोई एक आधार अवैध या अमान्य हो जाए, तो भी शेष वैध आधारों पर निरोध आदेश प्रभावी बना रहेगा। अर्थात्, केवल किसी एक आधार के निरस्त होने से पूरा आदेश स्वतः समाप्त नहीं होगा।

धारा 7 – फरार व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही

यदि निरोध आदेश जारी होने के बाद व्यक्ति छिप जाता है या फरार हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी कर सकता है तथा उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई व्यक्ति कानून से बच न सके।

धारा 8 – निरोध के आधार बताना

निरोध आदेश के बाद, यथाशीघ्र (आमतौर पर 5 दिनों के भीतर, विशेष परिस्थितियों में 10 दिनों तक) निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरोध के आधार बताए जाएंगे, ताकि वह अपनी ओर से प्रतिनिधित्व (त्मघतमेमदजंजपवद) प्रस्तुत कर सके। यह प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

धारा 9 – सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) का गठन

राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या न्यायिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। यह बोर्ड निरोध आदेश की समीक्षा करेगा और यह राय देगा कि निरोध उचित है या नहीं।

धारा 14 – निरोध आदेश का निरसन या संशोधन

इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय निरोध आदेश को निरस्त (रद्द) कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, चाहे वह आदेश उसके द्वारा या किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार परिस्थितियों के अनुसार निर्णय में बदलाव कर सके।

Paper 7 Criminology and crime prevention (11 sessions)

अपराध निवारण (Crime Prevention)

- ❖ अपराध निवारण का मतलब है ऐसे कदम उठाना, उपाय करना और प्रक्रियाएँ स्थापित करना जो समाज में अपराधों की घटनाओं को रोकने में मदद करें। यह एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण है जिसमें पुलिस, समुदाय, और सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाएँ मिलकर काम करती हैं। अपराध निवारण का उद्देश्य केवल अपराधों को रोकना नहीं, बल्कि समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- ❖ अपराध निवारण के विभिन्न तरीके हो सकते हैं जैसे कि "सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing)", "सामाजिक जागरूकता अभियान", "विनियमन और कड़ी कानूनी कार्रवाई", और "समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास स्थापित करना"। इनमें से सामुदायिक पुलिसिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अपराध निवारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ❖ सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing) परिचय (Introduction)–

- सामुदायिक पुलिसिंग एक ऐसी पुलिसिंग प्रक्रिया है जिसमें पुलिस और समुदाय मिलकर एक साझी जिम्मेदारी के रूप में अपराधों को रोकने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में पुलिस को सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसे समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो लोगों के विश्वास को जीतने और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है।

सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांत (Principles of Community Policing)–

1. "समुदाय का सहयोग (Community Involvement)–

- पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में समुदाय के हर वर्ग का सहयोग चाहिए। इस प्रक्रिया में, पुलिस को स्थानीय समुदाय के मुद्दों और समस्याओं को समझने के लिए उनसे संवाद करना पड़ता है।

समुदाय के सदस्य भी अपनी सुरक्षा और अपराध निवारण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

2. "विश्वास और साझेदारी (Trust and Partnership)–

- पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब पुलिस और नागरिक मिलकर काम करते हैं, तो यह विश्वास दोनों पक्षों को अपराध की रोकथाम के लिए मजबूत साझेदारी की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है।

3. "समस्याओं का समाधान (Problem Solving)–

- सामुदायिक पुलिसिंग में समस्याओं का समाधान पुलिस और समुदाय के मिलेजुले प्रयासों से किया जाता है। पुलिस अधिकारी और नागरिक मिलकर स्थानीय अपराधों, अव्यवस्था और अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं।

4. "प्रोएक्टिव पुलिसिंग (Proactive Policing)–

- सामुदायिक पुलिसिंग में, पुलिस को केवल अपराधों का समाधान नहीं करना होता, बल्कि उन्हें पूर्व में संभावित अपराधों की पहचान कर उनके निवारण के उपाय भी पहले से तय करना होता है।

सामुदायिक पुलिसिंग के लाभ (Benefits of Community Policing)–

1. "समुदाय के बीच बेहतर समझ (Better Understanding Between Community and Police)–

- पुलिस और समुदाय के बीच बेहतर संवाद से एक-दूसरे को समझने में मदद मिलती है। पुलिस समुदाय के मुद्दों को जान पाती है और समुदाय पुलिस के कार्यों को बेहतर तरीके से समझता है।

2. अपराध दर में कमी (Reduction in Crime Rate)–

- जब पुलिस और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो अपराध की घटनाएँ कम होती हैं, क्योंकि सामूहिक प्रयासों से अपराधियों पर दबाव बनता है और स्थानीय नागरिकों को अपराधों के प्रति सजग किया जाता है।

3. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)–

- समुदाय में पुलिस की मौजूदगी से सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और लोग अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। यह समाज में शांति बनाए रखने में मदद करता है।

4. समाज में जागरूकता (Awareness in Society)–

- पुलिस समुदाय के विभिन्न वर्गों को सुरक्षा, कानून, और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। इससे समाज में शिक्षा और जागरूकता बढ़ती है, जिससे अपराधों के प्रति सतर्कता होती है।

समुदाय के साथ बैठकें (Meeting with Community)

समुदाय से मुलाकात का महत्व (Importance of Meeting with the Community)–

- समुदाय से नियमित बैठकें पुलिस को अपराधों की प्रकृति और स्थानीय समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। यह प्रक्रिया सामुदायिक पुलिसिंग का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका उद्देश्य पुलिस और समुदाय के बीच संचार और सहयोग को बढ़ावा देना है।

बैठकों के प्रकार (Types of Meetings with the Community)–

1. "समुदाय के नेताओं के साथ बैठकें (Meetings with Community Leaders)–

- पुलिस अधिकारी, स्थानीय समुदाय के नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठकें करते हैं, ताकि वे समस्याओं और जरूरतों पर चर्चा कर सकें। इन बैठकों के दौरान, पुलिस को स्थानीय मुद्दों, जैसे कि अपराध, नशा, बाल शोषण, और घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी मिलती है।

2. जन संपर्क कार्यक्रम (Public Interaction Programs)–

- पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जन संपर्क कार्यक्रमों का उद्देश्य समुदाय के प्रत्येक सदस्य को पुलिसिंग की प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराना होता है।
- इस प्रकार के कार्यक्रमों में, समुदाय के लोग अपने सवालों को पुलिस अधिकारियों से पूछ सकते हैं और अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं।

3. वर्ग विशेष बैठकें (Special Category Meetings)–

- पुलिस कभी-कभी विशेष वर्गों के साथ बैठकें करती है, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, दलित समुदाय, वृद्धजन, और अन्य असुरक्षित समूहों के साथ। यह बैठकें उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने के लिए आयोजित की जाती हैं।

4. सुरक्षा बैठकें (Security Meetings)–

- इनमें पुलिस समुदाय के साथ मिलकर सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा करती है और संभावित खतरों या घटनाओं से निपटने के उपायों पर विचार करती है।

बैठकों के लाभ (Benefits of Meetings with the Community)–

1. "सूचना साझा करना (Sharing Information)–

- पुलिस और समुदाय के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, जिससे पुलिस को अपराधियों के बारे में जानकारी मिलती है और समुदाय को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में समझ मिलता है।

2. "समस्याओं का समाधान (Resolving Issues)–

- इन बैठकों के माध्यम से दोनों पक्षों को समस्याओं का समाधान खोजने का अवसर मिलता है। पुलिस भी समाज के विभिन्न वर्गों की चिंताओं को समझ पाती है और उनके अनुरूप कार्रवाई करती है।

3. "समान विचारधारा और समन्वय (Common Ideology and Coordination)–

- जब पुलिस और समुदाय एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके विचारों में समन्वय होता है और यह अपराध निवारण में सहायक होता है।

4. समुदाय का समर्थन (Community Support)–

- यदि समुदाय पुलिस के साथ मिलकर काम करता है, तो पुलिस को अपराधियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होती है। समाज का सहयोग पुलिस के लिए प्रेरणास्त्रोत बनता है।

अपराध निवारण में सामुदायिक पुलिसिंग की प्रभावशीलता (Effectiveness of Community Policing in Crime Prevention)–

- सामुदायिक पुलिसिंग अपराध निवारण की दिशा में बहुत प्रभावी है। यह समाज में पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाती है, जिससे लोग अपराध करने से पहले ही डरते हैं। इसके अलावा, पुलिस और समुदाय के बीच स्थिर संबंध अपराधों की रोकथाम में सहायक होते हैं, क्योंकि समुदाय में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है।

- **“पुलिस का निवारक दृष्टिकोण**— जब पुलिस और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो वे समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निवारक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे भविष्य में होने वाले अपराधों की संभावना कम होती है।
 - **“प्रेरणादायक कार्रवाई**— जब पुलिस और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो यह समाज के अन्य लोगों को भी अपराधों के खिलाफ जागरूक करता है और उन्हें अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।
- ❖ अपराध निवारण के प्रयासों में **“सामुदायिक पुलिसिंग”** और **“समुदाय से बैठकें”** अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करती हैं, बल्कि समाज में अपराधों की घटनाओं को भी कम करती हैं। जब पुलिस और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो इससे पूरे समाज को लाभ होता है और अपराधों की रोकथाम में सफलता प्राप्त होती है। सामुदायिक पुलिसिंग एक सशक्त और सतत प्रक्रिया है, जिससे समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

इंटेलिजेंस (Intelligence) के बुनियादी पहलू, स्रोत, संग्रहण, विश्लेषण और प्रबंधन, और संदिग्धों का शैडोइंग (Surveillance Shadowing)

इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जानकारी इकट्ठा, विश्लेषित, और प्रबंधित की जाती है। यह सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस का कार्य न केवल सूचना को एकत्रित करना है, बल्कि उसे विश्लेषित करके निर्णय लेने के लिए सहायक बनाना भी है।

इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं:

1. इंटेलिजेंस के बुनियादी पहलू (Basics of Intelligence)

इंटेलिजेंस का प्रमुख उद्देश्य किसी संगठन या देश की सुरक्षा और लाभ के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना है। यह किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराध, या आतंकवादी हमले को पहले से पहचानने में मदद करता है। इंटेलिजेंस की प्रक्रिया में मुख्यतः चार चरण होते हैं:

- **स्रोत से जानकारी एकत्र करना (Collection):** इंटेलिजेंस जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं।
- **विश्लेषण (Analysis):** एकत्रित जानकारी का विश्लेषण कर उसे उपयोगी और निर्णायक बनाने की प्रक्रिया।
- **निर्णय लेना (Decision Making):** जानकारी के आधार पर उचित कदम उठाना।
- **कार्रवाई करना (Action):** निर्णयों के आधार पर कार्रवाई करना, जैसे कि कानून प्रवर्तन, सुरक्षा रणनीतियाँ आदि।

2. इंटेलिजेंस के स्रोत (Intelligence Source)

इंटेलिजेंस एकत्रित करने के विभिन्न स्रोत होते हैं। इन स्रोतों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- **मानवीय स्रोत (Human Intelligence & HUMINT):**
यह स्रोत मानव संपर्कों से जानकारी प्राप्त करता है। इसमें गवाह, मुखबिर, जासूस, और अन्य लोग शामिल होते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

मुखबिर: जो अपराधियों या आतंकवादियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

गवाह और सूचना देने वाले व्यक्ति: जो किसी अपराध या संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी देते हैं।

○ तकनीकी स्रोत (Technical Intelligence & TECHINT):

इसमें उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे:

सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT): रेडियो, टेलीफोन, और अन्य संचार माध्यमों से एकत्रित जानकारी।

इमेजरी इंटेलिजेंस (IMINT): उपग्रहों और ड्रोन के माध्यम से प्राप्त छवियों से जानकारी।

सेंसर्स: जो किसी विशिष्ट इलाके या संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाने में मदद करते हैं।

○ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT):

यह स्रोत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से आता है, जैसे समाचार, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पुस्तकें, और पत्रिकाएँ।

○ संकेतों और घटनाओं का विश्लेषण (MASINT & Measurement and Signature Intelligence):

यह अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके संकेतों और घटनाओं के विश्लेषण से संबंधित है, जैसे कि रडार, तापमान, और अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम घटनाएँ।

3. इंटेलिजेंस संग्रहण (Gathering Intelligence)

इंटेलिजेंस संग्रहण का मुख्य उद्देश्य खुफिया जानकारी एकत्र करना है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य या संदिग्ध गतिविधि को पहचानने में सहायक हो। यह संग्रहण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है:

○ फील्ड वर्क (Fieldwork):

इंटेलिजेंस एजेंट और पुलिस अधिकारी संदिग्ध इलाकों में जाकर सूचना प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया छिपकर या गुप्त रूप से की जाती है।

○ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (Electronic Surveillance):

यह इंटरनेट, टेलीफोन कॉल्स, ईमेल, और अन्य डिजिटल माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इससे संदिग्ध लोगों या समूहों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।

○ जानकारी का आदान-प्रदान (Information Exchange):

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। जैसे, पुलिस, सेना, और खुफिया एजेंसियां आपस में सहयोग करती हैं।

○ साक्षात्कार (Interviews):

मुखबिरों, गवाहों और संदिग्ध व्यक्तियों से बातचीत करके जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें एकाग्रता और संयम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह संवेदनशील जानकारी हो सकती है।

4. इंटेलिजेंस विश्लेषण और प्रबंधन (Intelligence Analysis & Management)

विश्लेषण का उद्देश्य एकत्रित की गई जानकारी को अर्थपूर्ण बनाना और निर्णय लेने योग्य जानकारी में परिवर्तित करना है।

- डेटा का विश्लेषण (Data Analysis):
विश्लेषण प्रक्रिया में जुटाई गई जानकारी का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि जानकारी सही, सटीक और वर्तमान है।
- जानकारी को वर्गीकृत करना (Classifying Information):
जानकारी को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जैसे, सामान्य जानकारी, संवेदनशील जानकारी, और गुप्त जानकारी। इस वर्गीकरण से यह तय होता है कि किसे सार्वजनिक किया जाए और किसे सुरक्षित रखा जाए।
- खुफिया रिपोर्ट तैयार करना (Intelligence Reporting):
विश्लेषित जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे उच्च अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है। यह रिपोर्ट किसी संभावित खतरे, अपराध, या संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
- इंटेलिजेंस के प्रबंधन की प्रक्रिया (Intelligence Management Process):
इसमें खुफिया जानकारी की निगरानी, समय पर सुधार, और सामूहिक प्रयास शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर जानकारी और रिपोर्ट का सही तरीके से उपयोग किया जाए।

5. संदिग्धों का शैडोइंग (Surveillance and Shadowing of Suspects)

संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने की प्रक्रिया को शैडोइंग या सर्विलांस कहा जाता है। यह एक खुफिया प्रक्रिया है जो संदिग्ध के बारे में जानकारी जुटाने में सहायक होती है।

- सतर्कता (Vigilance): संदिग्ध की गतिविधियों पर ध्यान देना, उसका पीछा करना और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना।
- गुप्त निगरानी (Covert Surveillance): संदिग्ध के पीछे जाने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के दौरान यह सुनिश्चित करना कि उसे इस निगरानी का पता न चले।
- मौखिक और भौतिक प्रमाण जुटाना: शैडोइंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदिग्ध की गतिविधियों के प्रमाण संकलित किए जाएं, जैसे कि वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और अन्य सामग्री।

शैडोइंग के तरीके:

- मैनुअल शैडोइंग (Manual Shadowing): इस प्रक्रिया में एक या अधिक पुलिस अधिकारी संदिग्ध का पीछा करते हैं, उसे गोपनीय रूप से निगरानी में रखते हुए।
- तकनीकी शैडोइंग (Technical Surveillance): इसमें ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ताकि संदिग्ध की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

संदिग्धों पर निगरानी के लाभ:

संदिग्ध की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना।
किसी आपराधिक गतिविधि को होने से पहले ही पहचान लेना।
संदिग्ध के नेटवर्क और संपर्कों का खुलासा करना।

पुलिस-जनता संबंधों को सुधारने के उपाय (Methods to Improve Police&Public Relations)

- पुलिस और जनता के बीच अच्छे और सकारात्मक संबंध होना किसी भी समाज में कानून-व्यवस्था की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास और समझ का एक मजबूत आधार होता है, तो न केवल अपराधों की रोकथाम आसान होती है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा भी बढ़ती है। इस संबंध को सुधारने के लिए "सामुदायिक पुलिसिंग" (Community Policing) एक प्रभावी तरीका है। सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच सहयोग बढ़ाना है, ताकि अपराधों को रोका जा सके और एक सुरक्षित समाज स्थापित किया जा सके।

पुलिस-जनता संबंधों को सुधारने के विभिन्न तरीके (Methods to Improve Police&Public Relations)

1. धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी (Participation in Religious Ceremonies)

- धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में पुलिस की सक्रिय भागीदारी से पुलिस की छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसका महत्व-

- **समुदाय के साथ जुड़ाव-** धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से पुलिस को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के करीब लाने का अवसर मिलता है। यह समुदाय के साथ पुलिस के संबंधों को मजबूत करता है।
- **विश्वास निर्माण-** जब पुलिस धार्मिक आयोजनों में भाग लेती है, तो यह समाज में विश्वास और साझेदारी की भावना पैदा करता है, जिससे लोग पुलिस को अपना समर्थन देते हैं और पुलिस की मदद लेने में संकोच नहीं करते।
- **धार्मिक तटस्थता और समावेशिता-** पुलिस को हर धार्मिक समुदाय के प्रति तटस्थ और समावेशी भूमिका निभानी चाहिए। धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से यह संकेत मिलता है कि पुलिस हर समुदाय की आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करती है।

उदाहरण-

- पुलिस अधिकारियों द्वारा "ईद", "दीवाली", "क्रिसमस", "होली" जैसे धार्मिक त्योहारों में भाग लेना और समारोहों में शांति बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- **मूल्यांकन (Cultural Sensitivity)-** पुलिस अधिकारियों को विभिन्न समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाजों को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना, ताकि वे विभिन्न धार्मिक आयोजनों में अपने दृष्टिकोण से सही और सम्मानजनक तरीके से भाग ले सकें।

2. पुलिस स्टेशन स्तर पर खेल गतिविधियों का आयोजन (Organization of Sports Activities at Police Station Level)

- पुलिस स्टेशन स्तर पर खेल गतिविधियों का आयोजन पुलिस-जनता संबंधों को सुधारने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। खेल, समाज के हर वर्ग को एक साथ लाने का एक बेहतरीन माध्यम है और यह दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।

इसका महत्व-

- **समुदाय के साथ इंटरएक्शन (Community Interaction)-** खेल गतिविधियों के माध्यम से पुलिस आम जनता, विशेषकर युवाओं से संपर्क कर सकती है। यह सीधे संवाद स्थापित करने और सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर है।
- **समाज में सकारात्मक छवि (Positive Image in Society)-** जब पुलिस अपनी भूमिका को सिर्फ कानून की प्रवर्तन करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि लोगों के साथ मिलकर

खेल और अन्य सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती है, तो इससे पुलिस की छवि में सुधार होता है। पुलिस को सिर्फ एक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक प्दोस्त के रूप में देखा जाता है।

- **समाज में शांति और एकता (Promoting Peace and Unity)**— खेल प्रतियोगिताएं शांति, अनुशासन और सहयोग का प्रतीक होती हैं। जब पुलिस और जनता मिलकर खेलते हैं, तो यह समाज में बेहतर समझ और शांति को बढ़ावा देता है।
- **युवाओं के बीच अपराध कम करना (Reducing Youth Crime)**— खेल गतिविधियों के जरिए पुलिस युवाओं को अपराधों से दूर रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक तरीका हो सकता है।

उदाहरण—

- “टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल” जैसे खेल आयोजनों का आयोजन जहां पुलिस और स्थानीय निवासी एक टीम के रूप में खेल सकते हैं।
- “स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स” पुलिस द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जो स्थानीय समुदाय को जोड़ने का काम करते हैं और जहां बच्चों और युवाओं को पुलिस के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है।

3. पुलिस—जनता संवाद कार्यक्रम (Police&Public Dialogue Programs)

- पुलिस और समुदाय के बीच बेहतर संवाद की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर पर “समुदाय से संवाद कार्यक्रमों” का आयोजन किया जा सकता है, जहां पुलिस अधिकारी और जनता खुले तौर पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करें।

महत्व—

- **समस्या समाधान (Problem&Solving)**— जनता और पुलिस अधिकारियों के बीच संवाद से समाज की समस्याओं का बेहतर समाधान निकल सकता है। इन बैठकों में पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को जनता के सामने रख सकती है और जनता अपने मुद्दे और शिकायतें सीधे पुलिस तक पहुंचा सकती है।
- **जनता का विश्वास बढ़ाना (Building Trust with the Public)**— जब पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता से खुले दिल से बातचीत की जाती है, तो यह विश्वास और समझ बढ़ाती है। लोग अपनी परेशानियों को सीधे पुलिस से साझा कर सकते हैं।
- **समुदाय को पुलिसिंग में भागीदार बनाना (Involving Community in Policing)**— पुलिस को अपनी भूमिका के बारे में जनता को शिक्षित करना होता है और उन्हें यह बताना होता है कि कैसे वे अपने इलाकों में अपराधों को रोकने के लिए सहयोग कर सकते हैं।

उदाहरण—

- पुलिस द्वारा “मास मीटिंग्स” आयोजित करना, जहां स्थानीय निवासी अपने मुद्दों को सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकते हैं और पुलिस उनके सवालों का जवाब दे सकती है।
- **शिकायत समाधान बैठकें**— जहां जनता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती है और पुलिस अधिकारी उन्हें हल करने के लिए योजनाएँ बना सकते हैं।

4. पुलिस समुदाय के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें (Police Participation in Social Program)

- पुलिस को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए, जैसे कि "सामाजिक जागरूकता अभियान", "शिक्षा संबंधित कार्यशालाएँ", और "स्वास्थ्य कैंप्स"।

इसका महत्व—

- **सामाजिक सहयोग (Social Collaboration)**— पुलिस जब अन्य सामाजिक सेवाओं के साथ मिलकर काम करती है, तो इससे उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता है और वे अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं।
- **सकारात्मक योगदान (Positive Contribution)**— पुलिस द्वारा सामुदायिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने से लोगों में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है।
- **समाज में विश्वास का निर्माण (Building Trust in Society)**— जब पुलिस सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती है, तो यह दिखाता है कि वे केवल अपराधियों को पकड़ने में नहीं, बल्कि समाज के विकास में भी सक्रिय रूप से भागीदार हैं।

उदाहरण—

- "स्वास्थ्य जागरूकता अभियान"रू पुलिस द्वारा स्वास्थ्य कैंप आयोजित करना और समाज को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना।
 - "शिक्षा अभियान"रू पुलिस द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्र-छात्राओं को सुरक्षा और कानून के बारे में शिक्षित करना।
- ❖ पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंधों का निर्माण केवल अपराध निवारण के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समाज की समृद्धि और शांति के लिए भी आवश्यक है। "सामुदायिक पुलिसिंग" के माध्यम से पुलिस अपनी छवि को सुधार सकती है और जनता के विश्वास को मजबूत कर सकती है। धार्मिक आयोजनों में भाग लेना, खेल गतिविधियों का आयोजन, संवाद कार्यक्रमों का संचालन, और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी जैसे उपाय पुलिस और समुदाय के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन उपायों से न केवल अपराधों को रोकने में मदद मिलती है, बल्कि यह पुलिस को एक "दोस्त" के रूप में प्रस्तुत करने में भी मदद करता है।

Paper 9 (B) Functioning of Police Station and Duties (08 sessions)

पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली और कर्तव्य (Functioning of Police Station and Duties) –

- पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस संगठन का मूल घटक होता है, जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जांच की जाती है, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न कर्तव्यों का पालन किया जाता है। पुलिस स्टेशन का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और इसमें अपराधों की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी, नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना शामिल है।
- पुलिस स्टेशन में काम करने के दौरान, कई प्रकार की प्रक्रियाएं और दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, जो अपराधियों की पहचान, अपराध की प्रकृति, और जांच की स्थिति को रिकॉर्ड करते हैं। इनमें "MOB (Mobile Operation Bureau)", "History Sheet", "MCR Card", "Fingerprinting", "A Roll", और "B Roll" जैसी महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियाँ शामिल हैं।

1. MOB (Mobile Operation Bureau)

"MOB" या "मोबाइल ऑपरेशन ब्यूरो", पुलिस स्टेशन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका मुख्य कार्य पुलिस के ऑपरेशन और गश्त को मॉनिटर करना है। यह इकाई विशेष रूप से उन पुलिस कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, जो मोबाइल या गश्ती वाहनों के माध्यम से किए जाते हैं।

MOB के कार्य—

- **गश्त और निगरानी—** पुलिस स्टेशन से निकलने वाली गश्त को मॉनिटर करना और सुनिश्चित करना कि पुलिस अधिकारी सही क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं।
- **आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया—** जब भी कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, डब्लू यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस तत्परता से घटनास्थल पर पहुंचे।
- **संचार नेटवर्क—** यह पुलिस स्टेशन के सभी गश्ती वाहनों और अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है ताकि त्वरित सहायता दी जा सके।

2. History Sheet (इतिहास पत्रक)—

- **History Sheet** पुलिस का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी रखता है। यह पत्रक अपराधी की आपराधिक पृष्ठभूमि, गिरफ्तारी का इतिहास, और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को दर्ज करता है।

History Sheet का उद्देश्य—

- **अपराधियों की निगरानी—** यह दस्तावेज पुलिस को किसी व्यक्ति के पिछले अपराधों का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है।
- **अपराधियों की पहचान—** अगर कोई व्यक्ति पहले भी किसी अपराध में शामिल रहा है, तो यह इतिहास पत्रक पुलिस को उसकी पहचान और पिछली गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है।

- **संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना**— यह पत्रक पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी रखने और अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने में सहायता करता है।

3. MCR Card (Main Criminal Record Card)

- **“MCR Card”** या **“मुख्य अपराध रिकॉर्ड कार्ड”** पुलिस स्टेशन में अपराधियों और संदिग्धों का रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उस व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी दर्ज की जाती है, जो अपराध से संबंधित है। यह कार्ड उन व्यक्तियों के लिए होता है, जिनके खिलाफ अपराध की जांच की जा रही हो या जिनके बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी हो।

MCR Card के मुख्य बिंदु—

- **व्यक्ति की पहचान**— इसमें व्यक्ति का नाम, पता, उम्र, शारीरिक विवरण (जैसे ऊंचाई, रंग, और आंखों का रंग) शामिल होता है।
- **अपराधों का रिकॉर्ड**— व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों, गिरफ्तारी और मामले की स्थिति की जानकारी भी इसमें दी जाती है।
- **जांच का रिकॉर्ड**— इसमें जांच की स्थिति और किसी भी प्रकार की कार्रवाई के बारे में जानकारी होती है।

4. Fingerprinting (अंगूठा और फिंगरप्रिंटिंग)

- **“Fingerprinting”** एक विज्ञान है जिसमें किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) को लिया जाता है, जो उसकी पहचान करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह अपराधी की पहचान और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

Fingerprinting का महत्व—

- **“अपराधियों की पहचानरू”** फिंगरप्रिंट्स से अपराधी की पहचान करना और किसी विशेष अपराध से संबंधित अपराधी को पकड़ना आसान होता है।
- **“अपराधों का मिलानरू”** जब एक अपराधी किसी अपराध में शामिल होता है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस अपराध से जुड़े दस्तावेजों या घटनास्थल पर मिले प्रिंट्स से मिलाए जाते हैं।
- **“बायोमेट्रिक डेटारू”** यह आधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक के हिस्से के रूप में कार्य करता है, जिससे अपराधी की वास्तविक पहचान का पता चलता है।

5- A Roll (A&Roll)—

- **A Roll** पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखी जाती है जिनके खिलाफ गंभीर अपराध किए गए होते हैं। यह रिकॉर्ड उन व्यक्तियों के बारे में होता है जिन्हें अपराधों में शामिल होने का संदेह होता है या जो गंभीर अपराधों के आरोपी होते हैं।

A Roll का उद्देश्य—

- **गंभीर अपराधियों की पहचान**— यह रिकॉर्ड गंभीर अपराधों में शामिल होने वाले व्यक्तियों का विशिष्ट रिकॉर्ड होता है, जिससे पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
- **संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी**— **A Roll** का उपयोग संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी रखने और अपराधों के निवारण में किया जाता है।

- गंभीर अपराधों की जांच— इसमें विशेष रूप से हत्या, बलात्कार, डकैती, मादक पदार्थों के अपराध आदि के आरोपित व्यक्तियों का रिकॉर्ड होता है।

6- B Roll

- B Roll पुलिस रिकॉर्ड में। त्वसस का एक उपभाग है, जो ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखता है, जिनके खिलाफ मामूली अपराधों के आरोप होते हैं या जिनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड हल्का होता है। यह सामान्य रूप से उन व्यक्तियों का विवरण होता है, जो अपराध में लिप्त तो होते हैं, लेकिन उनके अपराध गंभीर नहीं होते।

B Roll का उद्देश्य—

- “मामूली अपराधियों की पहचानरू” ठ त्वसस में उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड होता है, जिनके खिलाफ छोटे अपराध जैसे चोरी, मारपीट या अन्य हल्के अपराध किए गए होते हैं।
- “संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानीरू” ठ त्वसस में दर्ज व्यक्तियों पर निगरानी रखने में मदद मिलती है, ताकि वे भविष्य में अपराधों में न लिप्त हों।
- “सामान्य जांचरू” यह पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ताकि वे भविष्य में अपराधों को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकें।

- ❖ पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली अपराधों की जांच, अपराधियों की पहचान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। “MOB, History Sheet, MCR Card, Fingerprint, A Roll, और B Roll” जैसे दस्तावेज और प्रक्रियाएँ पुलिस को अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने, उनकी पहचान स्थापित करने और अपराधों की जांच करने में मदद करती हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से पुलिस अपनी कार्रवाई को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से कर सकती है, जिससे अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त होती है।

पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली और कर्तव्यरू बीट पेट्रोलिंग, नोटबुक और पेट्रोल बुक का रखरखाव (Functioning of Police Station and Duties: Beat Patrolling, Maintenance of Note Book and Patrol Book) —

- पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली में बीट पेट्रोलिंग (Beat Patrolling), नोटबुक और पेट्रोल बुक का रखरखाव महत्वपूर्ण कर्तव्यों का हिस्सा होते हैं। ये कार्य पुलिस के नियमित कार्यों को सुनिश्चित करते हैं और अपराधों की रोकथाम के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। नीचे इन सभी कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

1. बीट पेट्रोलिंग (Beat Patrolling)

- “बीट पेट्रोलिंग” पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी निर्धारित इलाके में नियमित रूप से गश्त करने की प्रक्रिया है। बीट पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकना और जनता के बीच सुरक्षा का एहसास पैदा करना है। यह पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहायक है।

बीट पेट्रोलिंग के उद्देश्य—

- अपराधों की रोकथाम— जब पुलिस अधिकारी इलाके में गश्त करते हैं, तो अपराधियों में डर पैदा होता है, जिससे अपराध कम होते हैं। यह मुख्य रूप से सड़क पर होने वाले अपराधों जैसे चोरी, लूट, और शरारतों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है।
- जनता के साथ संवाद— गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों का जनता के साथ संवाद स्थापित होता है, जिससे पुलिस पर विश्वास बढ़ता है और लोग अपराध की सूचना देने में सक्रिय होते हैं।

- **दृश्य उपस्थिति (Visible Presence)**— गश्ती अधिकारियों की उपस्थिति से इलाके में सुरक्षा का एहसास होता है। इससे सामान्य नागरिक भी सुरक्षित महसूस करते हैं।
- **अपराधी गतिविधियों पर निगरानी**— पुलिस गश्त करते समय संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों पर नजर रखती है, जिससे अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सकती है।

बीट पेट्रोलिंग की प्रक्रिया—

- पुलिस अधिकारी अपनी गश्त का समय और मार्ग तय करते हैं, जो तय बीट एरिया के भीतर होना चाहिए।
- गश्त करते हुए पुलिस अधिकारी क्षेत्र में घूमकर संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की पहचान करते हैं।
- गश्त के दौरान वे किसी घटना की जानकारी इकट्ठा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका रिकॉर्ड करते हैं।

2. नोटबुक और पेट्रोल बुक का रखरखाव (Maintenance of Note Book and Patrol Book)

- पुलिस अधिकारियों को अपनी गश्त और कार्यवाही के दौरान "नोटबुक" और "पेट्रोल बुक" का नियमित रूप से रखरखाव करना होता है। यह दोनों दस्तावेज पुलिस के कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे पुलिस की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है।

नोटबुक (Note Book)—

- "नोटबुक" एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या, गश्त, घटनाओं और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का रिकॉर्ड रखते हैं।
- इसमें पुलिस अधिकारी द्वारा की गई सभी घटनाओं, संदिग्धों की जानकारी, और किसी भी आपातकालीन स्थिति का विवरण होता है।

नोटबुक के महत्व—

- **साक्ष्य के रूप में**— यदि कोई कानूनी मामला उत्पन्न होता है, तो नोटबुक का विवरण साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- **कार्य रिपोर्ट**— यह पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उनके कार्यों का विस्तृत रिकॉर्ड होता है, जो बाद में किसी जांच के दौरान उपयोगी हो सकता है।
- **संस्मरण**— अधिकारी अपने कार्यों और घटनाओं को याद रखने के लिए नोटबुक का उपयोग करते हैं, ताकि वे आगामी कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे सकें।

पेट्रोल बुक (Patrol Book)—

- "पेट्रोल बुक" पुलिस विभाग का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें पुलिस अधिकारियों की गश्त की जानकारी दर्ज की जाती है।
- यह बुक उस क्षेत्र के गश्ती कार्यक्रम को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस अधिकारी अपनी गश्त पूरी करें और वे सही समय पर निर्धारित स्थानों पर उपस्थित हों।

पेट्रोल बुक के महत्व—

- **गश्त की रिकॉर्डिंग**— यह पुस्तक गश्ती अधिकारी द्वारा किए गए पेट्रोलिंग के समय, मार्ग और गतिविधियों का विवरण रखती है।
- **कार्य की निगरानी**— उच्च अधिकारियों को यह पता चलता है कि गश्त सही तरीके से हो रही है या नहीं। इसे गश्त के कार्य की निगरानी के रूप में देखा जा सकता है।
- **कानूनी संदर्भ**— किसी मामले की जांच के दौरान पेट्रोल बुक का विवरण महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह पुलिस की उपस्थिति और कार्रवाई की जानकारी देता है।

नोटबुक और पेट्रोल बुक का रखरखाव—

- **नियमितता**— पुलिस अधिकारियों को अपनी नोटबुक और पेट्रोल बुक का नियमित रूप से और सही तरीके से रखरखाव करना चाहिए। इसमें हर दिन की घटनाओं और गश्त की गतिविधियों का विवरण होना चाहिए।
- **प्रणाली**— पुलिस अधिकारियों को इन दस्तावेजों में जानकारी दर्ज करते समय स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से कार्य करना चाहिए, ताकि किसी भी संदिग्ध मामले में ये दस्तावेज उपयोगी साबित हो सकें।
- **सुरक्षा**— इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और इन्हें गलत हाथों में जाने से रोकना जरूरी होता है।

3. बीट पेट्रोलिंग, नोटबुक और पेट्रोल बुक के लाभ (Benefits of Beat Patrolling] Note Book and Patrol Book Maintenance)

बीट पेट्रोलिंग के लाभ—

- **अपराध की रोकथाम**— बीट पेट्रोलिंग से क्षेत्र में अपराध की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अपराधी पुलिस की उपस्थिति से डरते हैं।
- **समुदाय के विश्वास का निर्माण**— जब पुलिस अधिकारी समुदाय में नियमित रूप से गश्त करते हैं, तो यह समुदाय में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करता है।
- **अच्छी निगरानी**— यह पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों पर निगरानी रखने में सक्षम बनाता है, जिससे जल्दी कार्रवाई की जा सकती है।

नोटबुक और पेट्रोल बुक के लाभ—

- **कार्यवाही का रिकॉर्ड**— ये दस्तावेज पुलिस की कार्यवाही का एक प्रमाण होते हैं, जो बाद में कानूनी प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं।
- **प्रबंधन में मदद**— इन दस्तावेजों से उच्च अधिकारियों को यह पता चलता है कि पुलिस अधिकारी अपने कार्यों को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं।
- **संभावित साक्ष्य**— किसी भी अपराध के मामले में इन दस्तावेजों का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, जो कोर्ट में पुलिस के पक्ष में मदद कर सकता है।

❖ “बीट पेट्रोलिंग, नोटबुक और पेट्रोल बुक का रखरखाव” पुलिस स्टेशन के दैनिक कार्यों का अभिन्न हिस्सा हैं। बीट पेट्रोलिंग से अपराधों की रोकथाम होती है और पुलिस की दृश्य उपस्थिति से समाज में सुरक्षा का एहसास होता है। वहीं, नोटबुक और पेट्रोल बुक जैसे दस्तावेज पुलिस के कार्यों का रिकॉर्ड रखने में मदद करते हैं, जो भविष्य में जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करके पुलिस अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है और समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर सकती है।

पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली और कर्तव्यरू स्ठ, इंटेलिजेंस गेदरिंग, इंटेलिजेंस सोर्स मैनेजमेंट, संदिग्धों का पीछा करना, सुरक्षा गार्ड को ब्रीफ करना, सूचना और इंटेलिजेंस में अंतर, निगरानी, और तकनीकी निगरानी (**Functioning of Police Station and Duties: LIB, Intelligence Gathering, Intelligence Source Management, Shadowing of Suspects, Briefing Security Guard @ ATM, Bank, Jeweler Shop] Managing of Information, Difference Between Information and Intelligence, Surveillance, Technical Surveillance**) –

- पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और कर्तव्यों का दायरा बहुत विस्तृत है और इसमें कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इनमें “LIB (Local Intelligence Bureau)”, “इंटेलिजेंस गेदरिंग (Intelligence Gathering)”, “इंटेलिजेंस सोर्स मैनेजमेंट (Intelligence Source Management)”, “संदिग्धों का पीछा करना (Shadowing of Suspects)”, “सुरक्षा गार्ड को ब्रीफ करना (Briefing Security Guard)”, “सूचना और इंटेलिजेंस में अंतर (Difference Between Information and Intelligence)”, “निगरानी (Surveillance)” और “तकनीकी निगरानी (Technical Surveillance)” जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं। ये सभी कार्य पुलिस की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा हैं और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं।

1. LIB (Local Intelligence Bureau)“

- LIB (Local Intelligence Bureau) पुलिस विभाग की एक शाखा होती है, जो स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय अपराधों, संदिग्ध गतिविधियों और गैंगवार जैसी घटनाओं पर नजर रखना है।

LIB के कार्य–

- **स्थानीय खुफिया जानकारी एकत्र करना–** यह क्षेत्र में होने वाली अपराधिक घटनाओं और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाती है।
- **संदिग्धों पर नजर रखना–** पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए स्ठ का उपयोग किया जाता है।
- **समाज में सुरक्षा बनाए रखना–** LIB के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है, जिससे समाज में शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।

LIB का महत्व–

- **स्थानिक निगरानी–** स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी प्राप्त करना जिससे अपराधियों की पहचान की जा सके।
- **वास्तविक समय में जानकारी–** LIB द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग तुरंत पुलिस कार्यवाही में किया जा सकता है।

2. इंटेलिजेंस गेदरिंग (Intelligence Gathering)

- “इंटेलिजेंस गेदरिंग” का मतलब है अपराध और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना। यह प्रक्रिया अपराधों की रोकथाम और संभावित खतरों से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।

इंटेलिजेंस गेदरिंग के स्रोत–

- **सूचना देने वाले (Informants)–** स्थानीय लोग या अन्य स्रोत जो अपराधियों के बारे में जानकारी देते हैं।

- **निगरानी (Surveillance)**— संदिग्ध व्यक्तियों और घटनाओं पर निगरानी रखना और जानकारी एकत्र करना।
- **डिजिटल स्रोत**— इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी खुफिया जानकारी एकत्र की जा सकती है।

इंटेलिजेंस गेदरिंग के प्रकार—

- **मानव स्रोत (Human Intelligence)**— इसमें इंसान से प्राप्त जानकारी शामिल होती है, जैसे इन्फॉर्मर्स और जासूस।
- **संचार स्रोत (Signal Intelligence)**— रेडियो, फोन कॉल और अन्य संचार माध्यमों के जरिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना।

3. इंटेलिजेंस सोर्स मैनेजमेंट (Intelligence Source Management)“

- **“इंटेलिजेंस सोर्स मैनेजमेंट”** का उद्देश्य खुफिया स्रोतों का उचित प्रबंधन करना है। यह पुलिस विभाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सूचना गलत स्रोतों से प्राप्त होती है, तो वह सही तरीके से कार्रवाई करने में मदद नहीं करती।

इंटेलिजेंस सोर्स मैनेजमेंट के मुख्य कार्य—

- **सूत्रों की पहचान**— सबसे पहले, पुलिस को अपने इंटेलिजेंस स्रोतों की पहचान करनी होती है। इनमें इन्फॉर्मर्स, जासूस, और अन्य स्रोत शामिल होते हैं।
- **स्रोतों का सुरक्षित रखरखाव**— इंटेलिजेंस स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि उनकी पहचान उजागर न हो।
- **सूत्रों की विश्वसनीयता**— केवल उन स्रोतों से जानकारी लेना जो विश्वसनीय और सही हैं।

4. संदिग्धों का पीछा करना (Shadowing व Suspects)

- **“संदिग्धों का पीछा करना”** एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों और आंदोलनों पर नजर रखते हैं। यह तकनीक आमतौर पर तब उपयोग की जाती है जब पुलिस को लगता है कि संदिग्ध व्यक्ति किसी अपराध में शामिल हो सकता है।

संदिग्धों का पीछा करने के उद्देश्य—

- **अपराधी गतिविधियों पर नजर रखना**— संदिग्ध के हर कदम पर निगरानी रखी जाती है ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न घटित हो।
- **साक्ष्य एकत्र करना**— संदिग्ध की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करना, जो बाद में साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है।

5. सुरक्षा गार्ड को ब्रीफ करना (Briefing Security Guard / ATM] Bank] Jeweler Shop)–

- सुरक्षा गार्डों को विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों जैसे “ATM”, “बैंक”, और “ज्वैलरी शॉप” पर सुरक्षा संबंधी ब्रीफिंग देना आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे किसी आपात स्थिति में उचित कार्रवाई करें और अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक रहें।

सुरक्षा गार्ड को ब्रीफिंग में शामिल बातें—

- **सुरक्षा उपकरण का उपयोग**— सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल करना।
- **आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया**— अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो गार्ड को उसकी त्वरित और सही प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- **संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना**— गार्ड को यह ब्रीफ किया जाता है कि वे संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचित करें।

6. सूचना और इंटेलिजेंस में अंतर (Difference Between Information and Intelligence)

- “सूचना (Information)” और “इंटेलिजेंस (Intelligence)” दोनों शब्द अक्सर उपयोग होते हैं, लेकिन इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है।

सूचना (Information)–

- सूचना आमतौर पर किसी घटना, व्यक्ति या गतिविधि से जुड़ी सामान्य जानकारी होती है।
- यह सत्यापित नहीं होती और कभी-कभी यह अधूरी या गलत हो सकती है।
- सूचना का इस्तेमाल तुरंत और बिना किसी ठोस विश्लेषण के किया जा सकता है।

इंटेलिजेंस (Intelligence)

- इंटेलिजेंस वह सूचना होती है जो विश्लेषित, मूल्यांकित और पूरी तरह से सत्यापित की जाती है।
- यह विश्लेषण और कार्रवाई के लिए उपयोगी होती है, और पुलिस विभाग द्वारा इसका उपयोग रणनीतिक निर्णय लेने में किया जाता है।
- इंटेलिजेंस सूचनाओं से ज्यादा विश्वसनीय और ठोस होती है।

7. निगरानी (Surveillance)

- “निगरानी (Surveillance)” वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या गतिविधि पर लगातार ध्यान रखा जाता है। यह पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों, अपराधियों और आतंकवादी संगठनों की पहचान करने में मदद करती है।

निगरानी के प्रकार–

- **मनोवैज्ञानिक निगरानी (Physical Surveillance)**– इस प्रकार की निगरानी में पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और घटनाओं पर अपनी उपस्थिति से नजर रखती है।
- **तकनीकी निगरानी (Technical Surveillance)**– इसमें सीसीटीवी कैमरे, ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

8. तकनीकी निगरानी (Technical Surveillance)

- “तकनीकी निगरानी” में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसी व्यक्ति या गतिविधि पर निगरानी रखी जाती है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है।

तकनीकी निगरानी के उपकरण–

- **सुरक्षा कैमरे (CCTV)**– सार्वजनिक और निजी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं।
- **ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग**– किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो और वीडियो तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- **संचार निगरानी**– फोन कॉल्स, ईमेल और इंटरनेट गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

- ❖ पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली में LIB, इंटेलिजेंस गेदरिंग, संदिग्धों का पीछा करना, सुरक्षा गार्ड को ब्रीफ करना, सूचना और इंटेलिजेंस का अंतर, निगरानी, और तकनीकी निगरानी जैसे कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रक्रियाएँ पुलिस को समय पर अपराधों की जानकारी प्राप्त करने, अपराधियों पर निगरानी रखने, और संभावित खतरों से निपटने में मदद करती हैं। इन कार्यों को सही तरीके से निभाने से समाज में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना आसान हो जाता है और अपराधों को समय रहते रोका जा सकता है।

पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली और कर्तव्यरू डायल 100 शिकायतों की प्राप्ति और त्वरित प्रतिक्रिया, सेक्शन हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में (Receiving Dial 100 Complaints and Giving Response Promptly in Absence of Section Head Constable)

- “डायल 100” पुलिस विभाग का आपातकालीन नंबर है, जिसे जनता किसी भी प्रकार के अपराध, दुर्घटना, या आपातकालीन स्थिति की सूचना देने के लिए उपयोग करती है। पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई त्वरित और प्रभावी हो। विशेष रूप से, जब “सेक्शन हेड कांस्टेबल” उपस्थित नहीं होते हैं, तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ताकि वह डायल 100 शिकायतों का समय पर निवारण कर सकें। इस संदर्भ में, निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

1. डायल 100 की शिकायतों की प्राप्ति (Receiving Dial 100 Complaints)”

- “डायल 100” पुलिस का आपातकालीन संपर्क नंबर है, जो नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी आपात स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए डायल 100 पर कॉल करता है, तो यह पुलिस स्टेशन के “कमांड एंड कंट्रोल सेंटर” (Control Room) में सीधे पहुंचता है।

डायल 100 शिकायतों की प्राप्ति का प्रक्रिया—

- शिकायत की सुनवाई— डायल 100 पर कॉल आने पर, पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों को शिकायत का विवरण प्राप्त होता है। कॉल करने वाले व्यक्ति से घटना का स्थान, प्रकार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ली जाती है।
- शिकायत का सत्यापन— कॉल करने वाले व्यक्ति से संपर्क करते हुए उनकी स्थिति और शिकायत का सत्यापन किया जाता है।
- सूचना का रिकॉर्ड— पूरी शिकायत और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को “रेजिस्टर” या “ऑनलाइन सिस्टम” में दर्ज किया जाता है ताकि घटना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग— अधिकतर पुलिस स्टेशन में डायल 100 शिकायतों की ट्रैकिंग के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है, जिससे अधिकारियों को किसी भी मामले की स्थिति का तत्काल पता चलता है।

2. त्वरित प्रतिक्रिया (Prompt Response)”

- जब डायल 100 पर शिकायत प्राप्त होती है, तो पुलिस अधिकारियों को त्वरित प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में हर मिनट मायने रखता है। यदि सेक्शन हेड कांस्टेबल मौजूद नहीं होते हैं, तो उनके अनुपस्थित होने पर “पारदर्शिता” और “समय की प्रबंधन” के साथ पुलिस अधिकारी को कार्रवाई करनी होती है।

त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक कदम—

- कर्मचारी का समन्वय— डायल 100 पर शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी (अगर सेक्शन हेड कांस्टेबल अनुपस्थित हो) को तत्काल घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। वे “पारदर्शी निर्णय” लेते हैं और “रेस्पॉन्स टीम” को भेजते हैं।
- ऑटोमेटेड निर्देशों का पालन— डायल 100 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के लिए पहले से निर्धारित मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएँ (जंदकंतक व्यवसायपद्धत व्यवबमकनतमे) होती हैं, जिन्हें पुलिस अधिकारी त्वरित कार्रवाई के दौरान पालन करते हैं।

- **टीम का गठन**— यदि शिकायत गंभीर या बड़ी घटना से संबंधित होती है, तो मौके पर त्वरित सहायता भेजने के लिए गश्ती दल (Patrol Team) या “विशेष इकाई” की तैनाती की जाती है।
- **समयबद्ध प्रतिक्रिया**— पुलिस अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा (जैसे 10–15 मिनट) के भीतर घटना स्थल पर पहुंचने का लक्ष्य रखा जाता है।

3. सेक्शन हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निष्पादन (Duties in Absence of Section Head Constable)

- जब “सेक्शन हेड कांस्टेबल” या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी की अनुपस्थिति होती है, तो पुलिस के सामान्य अधिकारी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्हें न केवल घटनाओं का त्वरित समाधान करना होता है, बल्कि सभी कर्तव्यों को ठीक से निभाने के लिए समुचित निर्णय भी लेने होते हैं।

सेक्शन हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में त्वरित कार्यवाही—

- **निर्णय लेने की जिम्मेदारी**— जब सेक्शन हेड कांस्टेबल अनुपस्थित होते हैं, तो सामान्य कांस्टेबल या सीनियर कांस्टेबल को घटना पर तत्काल कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसमें पुलिस की टीम का समन्वय, घटना स्थल पर पहुंचना और उचित कार्रवाई करना शामिल है।
- **संचार और रिपोर्टिंग**— पुलिस अधिकारियों को घटनाओं की स्थिति के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना होता है, ताकि कार्रवाई की दिशा में सुधार किया जा सके।
- **टीम लीडिंग**— सेक्शन हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में, संबंधित अधिकारी को अपनी टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। टीम के कामों की निगरानी, और जरूरत के अनुसार संसाधनों की व्यवस्था करना भी शामिल है।

4. डायल 100 की शिकायतों का वर्गीकरण (Classification of Dial 100 Complaints)

- डायल 100 पर आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता और गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण से पुलिस अधिकारी को यह तय करने में मदद मिलती है कि किस शिकायत को पहले हल किया जाए और किसे बाद में।

शिकायतों के प्रकार—

- **अपराधिक शिकायतें**— जैसे चोरी, हत्या, लूटपाट, हमला आदि।
- **दुर्घटना से संबंधित शिकायतें**— सड़क दुर्घटनाएँ, चोटें, आगजनी आदि।
- **सामाजिक या आपातकालीन घटनाएँ**— जैसे घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव, सार्वजनिक उन्माद आदि।
- **अन्य शिकायतें**— जैसे गुमशुदगी, लापरवाही, दुर्घटना संबंधित समस्याएँ।

5. प्रभावी कर्तव्य निर्वहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ (Best Practices for Effective Duty Fulfillment)

- **दक्षता और प्राथमिकता**— डायल 100 शिकायतों को समय पर और उचित तरीके से संभालना पुलिस अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाता है।
- **समय की पाबंदी**— घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करना कि वे समय पर कार्रवाई कर रहे हैं।
- **आधुनिक तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल**— घटना की स्थिति की जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन के पास “संचार उपकरण”, “जीपीएस” (GPS) और “ट्रैकिंग सिस्टम” होते हैं, जो पुलिस अधिकारियों को घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं।

- **टीमवर्क**— विशेषकर जब सेक्शन हेड कांस्टेबल अनुपस्थित होते हैं, तो पुलिस अधिकारियों के बीच अच्छा टीमवर्क बेहद महत्वपूर्ण होता है। टीम के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

6. डायल 100 शिकायतों की निगरानी और रिपोर्टिंग (Monitoring and Reporting of Dial 100 Complaints)

- जब पुलिस अधिकारी डायल 100 शिकायतों का समाधान करते हैं, तो उन्हें मामले की प्रगति और उसके परिणाम की नियमित निगरानी करनी होती है। यह रिपोर्टिंग पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि शिकायतों का सही तरीके से निवारण हो रहा है।

निगरानी प्रक्रिया—

- **कार्य रिपोर्टिंग**— पुलिस अधिकारी द्वारा घटना स्थल पर किए गए सभी कार्यों को दस्तावेजित किया जाता है। इसका रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है, ताकि बाद में किसी प्रकार की समीक्षा की जा सके।
- **ग्राहक संतुष्टि**— शिकायतकर्ता को घटना की स्थिति और उसकी कार्रवाई के बारे में नियमित अपडेट देना, ताकि उनकी संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके।
- **समीक्षा और सुधार**— डायल 100 प्रणाली के द्वारा प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाती है, ताकि भविष्य में कोई सुधार किया जा सके और प्रतिक्रिया का समय और बेहतर किया जा सके।

- ❖ “डायल 100 शिकायतों का त्वरित समाधान” और “सेक्शन हेड कांस्टेबल की अनुपस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया” पुलिस कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से न केवल अपराधों की रोकथाम होती है, बल्कि समाज में सुरक्षा का भी एहसास बढ़ता है। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे सही समय पर, सही प्रक्रिया का पालन करते हुए इन शिकायतों का समाधान करें, ताकि नागरिकों का विश्वास पुलिस विभाग में बना रहे।

Paper 3 -Preventive Laws in Rajasthan (06 sessions)

राजस्थान कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट, 1975 (Rajasthan Control of Gundas Act)

राजस्थान कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट, 1975 राजस्थान राज्य में गुंडागर्दी और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। यह कानून उन व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान करता है, जो सार्वजनिक जीवन को अशांत करते हैं और समाज में डर और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करते हैं। इस कानून के तहत, गुंडा शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक स्थलों पर आतंक और भय का माहौल बनाते हैं, हिंसा में लिप्त रहते हैं, और समाज की शांति को भंग करते हैं। इस कानून का उद्देश्य इन प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना और उन्हें समाज से अलग करना है, ताकि समाज में अपराधों की संख्या कम हो सके।

1. गुंडा की परिभाषा (Definition of Gunda)

इस एक्ट के तहत, "गुंडा" शब्द का मतलब उन व्यक्तियों से है, जो किसी भी प्रकार से:

- सार्वजनिक जीवन में आतंक फैलाते हैं,
- नियमित रूप से हिंसा, धमकी, शारीरिक हमले या असामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, समाज में असुरक्षा और भय का माहौल उत्पन्न करते हैं,
- किसी भी अपराध को करने में लिप्त होते हैं जैसे की उगाही, वसूली, डकैती, आदि।
- यह एक्ट उन व्यक्तियों को "गुंडा" के रूप में वर्गीकृत करता है जो बार-बार समाज में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करते हैं।

2. गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई (Action under the Gunda Act)

राजस्थान कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट, 1975 के तहत पुलिस और प्रशासन को यह अधिकार दिया जाता है कि वे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं। इस एक्ट के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:

- गुंडा डिटेंशन (Gunda Detention):
यदि कोई व्यक्ति बार-बार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है और समाज में डर या असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करता है, तो उसे गुंडा डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
यह हिरासत बिना आरोप तय किए जा सकती है, यदि यह प्रमाणित हो कि वह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है।
- निगरानी और प्रतिबंध (Surveillance and Restrictions):
ऐसे व्यक्तियों की निगरानी की जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे समाज में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं।
पुलिस उन पर विशेष निगरानी रखती है और उन्हें कुछ स्थानों पर जाने या किसी विशेष गतिविधि में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकती है।
- संपत्ति की जब्ती (Seizure of Property):
यदि कोई व्यक्ति गुंडा गतिविधियों में लिप्त है और उसने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो

उसे संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
उसकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

○ गिरफ्तारी और दंड (Arrest and Punishment):

इस कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, और उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करें।

यदि कोई व्यक्ति गुंडागर्दी में दोषी पाया जाता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है, जो की कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

3. प्रोसीजर और शक्ति (Procedure and Powers)

इस एक्ट के तहत पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वे गुंडागर्दी को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकें। कुछ प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

- संदिग्ध व्यक्ति की पहचान: पुलिस को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तियों की पहचान करें, जो अपराधी प्रवृत्तियों के होते हैं और समाज में भय का माहौल उत्पन्न करते हैं।
- निगरानी रखी जाती है: उन व्यक्तियों की निगरानी रखी जाती है, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे गुंडागर्दी में लिप्त हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस गुप्त तरीके से जांच करती है।
- गिरफ्तारी और हिरासत: यदि किसी व्यक्ति को गुंडागर्दी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे बिना किसी न्यायिक आदेश के हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि, उसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी होता है।

4. गुंडा एक्ट के तहत आरोपी की सुरक्षा (Protection of the Accused under the Act)

इस एक्ट में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आरोपी के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे यह अधिकार है कि उसे एक न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जाए, और अगर उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते तो उसे रिहा भी किया जा सकता है।

5. इस एक्ट की समीक्षा और विवाद (Review and Disputes)

किसी व्यक्ति के खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, तो उसे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। अदालत में इस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा सकती है। यदि अदालत को लगता है कि गिरफ्तारी या हिरासत उचित नहीं है, तो वह व्यक्ति को रिहा कर सकती है।

6. गुंडा एक्ट का उद्देश्य (Objective of the Act)

राजस्थान कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट, 1975 का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। यह कानून गुंडागर्दी, अपराध, और सामाजिक अशांति को रोकने के लिए लागू किया गया है। इस कानून के माध्यम से, सरकार ने उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है जो समाज में डर, हिंसा और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करते हैं।

राजस्थान आदतन अपराधी अधिनियम, 1953 (Rajasthan Habitual Offenders Act, 1953)

उन अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है जो बार-बार अपराध करने के आदी हो चुके हैं। यह कानून पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की निगरानी करने और उन्हें समाज के लिए खतरा बनने से रोकने की शक्ति देता है। यहाँ इस अधिनियम के प्रमुख कानूनी प्रावधानों का सरल विवरण दिया गया है:

1. 'आदतन अपराधी' कौन है? इस अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को 'आदतन अपराधी' तब माना जाता है जब: वह पिछले 5 वर्षों के भीतर कम से कम 3 बार गंभीर अपराधों (जैसे चोरी, लूट, डकैती, जालसाजी आदि) के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो। उसकी गतिविधियों से यह स्पष्ट हो कि वह अपराध को अपने पेशे या आदत के रूप में अपना चुका है।

2. पंजीकरण और फिंगरप्रिंट

राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी किसी आदतन अपराधी को पंजीकृत करने का आदेश दे सकते हैं।

- पंजीकरण: अपराधी का नाम एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।
- विवरण देना: पंजीकृत अपराधी को अपना नाम, पता, उंगलियों के निशान (थपदहमतचतपदजे) और फोटो देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- परिवर्तन की सूचना: यदि वह अपना निवास स्थान बदलता है, तो उसे संबंधित थाने को इसकी सूचना देनी अनिवार्य है।

3. गतिविधियों पर प्रतिबंध और गश्त

धारा 11 के तहत, राज्य सरकार आदतन अपराधी की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती है:

- उपस्थिति (Attendance): उसे सप्ताह में या महीने में निश्चित समय पर पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है।
- आवाजाही पर रोक: उसे एक निश्चित क्षेत्र से बाहर जाने के लिए लिखित अनुमति लेनी पड़ सकती है।

4. सुधारात्मक बस्तिया

अधिनियम की धारा 15 के तहत, यदि सरकार को लगता है कि अपराधी को समाज से अलग रखना या सुधारना आवश्यक है, तो उसे 'सेटेलमेंट' (सुधारात्मक बस्तियों) में भेजा जा सकता है।

यहाँ उन्हें अनुशासित जीवन जीने और कोई उपयोगी काम सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे अपराध छोड़ सकें।

5. उल्लंघन पर दंड

यदि कोई पंजीकृत आदतन अपराधी इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करता है:

- सजा: उसे 6 महीने से 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना (या दोनों) हो सकता है।
- वारंट के बिना गिरफ्तारी: पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले आदतन अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

राजस्थान अपराधों को रोकने के लिए एंटी सोशल एक्टिविटी ,2006 (Rajasthan Prevention of Anti&Social Activities Act 2006)

इसे राज PASA 2006 के नाम से भी जाना जाता है, एक राज्य स्तर का कानून है जिसे राज्य में समाजविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए लागू किया गया है। यह कानून उन व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो राज्य की सुरक्षा, शांति, या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं।

राज PASA 2006 के मुख्य पहलू:

1. उद्देश्य:

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज में अपराध, आतंकवाद, हिंसा, और अन्य सामाजिक गतिविधियों को रोकना है जो राज्य के सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा हो सकती हैं।

2. प्रावधान:

यह कानून उन व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है जो समाजविरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि आतंकवाद, नशाखोरी, संगठित अपराध, आदि। इसके तहत पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन्हें बिना जमानत के कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की शक्ति दी जाती है।

3. निरोधी कार्रवाई:

यदि पुलिस यह मानती है कि कोई व्यक्ति या समूह राज्य के सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो उसे बिना जमानत के हिरासत में लिया जा सकता है। व्यक्ति को अधिकतम 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, और यदि न्यायालय यह तय करता है कि यह व्यक्ति समाजविरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

4. निरोधी आदेश:

प्रशासन को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसके गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर पूर्वानुमान के बिना रोक सकता है।

संदिग्ध गतिविधियाँ:

आतंकवाद, नशे का सेवन, अपराधिक गतिविधियाँ, संगठित अपराध और ऐसे अन्य अपराध जिन्हें सार्वजनिक शांति के लिए खतरे के रूप में माना जाता है।

5. गिरफ्तारी और हिरासत:

यह अधिनियम पुलिस को व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करने और न्यायालय में पेश किए बिना भी 3 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

6. सजा और दंड:

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे जुर्माना, जेल की सजा या दोनों हो सकती हैं।

7. बदलाव और समीक्षा:

यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, और इसे अदालतों द्वारा भी समीक्षा किया जा सकता है।

समाप्ति:

राज PASA 2006 का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन इसके खिलाफ अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए जाते हैं, क्योंकि यह व्यक्तियों को बिना किसी स्पष्ट आरोप के लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। यही कारण है कि यह कानून विवादास्पद भी रहा है।

यह अधिनियम राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी कार्यवाही की पारदर्शिता और मानवाधिकारों के संदर्भ में भी लगातार बहस होती रही है।

Paper 3-State Specific Laws (10 sessions)

Rajasthan Excise Act, 1950

- Rajasthan Excise Act, 1950, राज्य में शराब और अन्य मदिरा के व्यापार, उत्पादन, वितरण और नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार को मदिरा के वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है।
- राजस्थान एक्साइज एक्ट, 1950 का उद्देश्य राज्य में शराब (मदिरा) और अन्य अल्कोहलिक उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, वितरण, और उपभोग को नियंत्रित करना है। इस एक्ट में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कौन से उत्पाद वैध हैं, उनका उत्पादन और बिक्री किस तरह से की जा सकती है, और इसके उल्लंघन पर क्या दंड होगा।

मुख्य उद्देश्य –

1. मदिरा के उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करना।
2. राज्य को एक्साइज ड्यूटी और अन्य शुल्क के माध्यम से राजस्व प्राप्त करना।
3. मदिरा के दुरुपयोग को रोकना और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करना।

मुख्य प्रावधान –

1. "व्याख्याएँ और परिभाषाएँ (Definitions)–

- **मदिरा(Liquor)–** इसमें शराब, बियर, व्हिस्की, रम आदि सभी प्रकार की अल्कोहलिक ड्रिंक्स शामिल हैं।
- **निर्माण(Manufacture)–** मदिरा का उत्पादन और निर्माण करने की प्रक्रिया।
- **व्यापार(Trade)–** मदिरा का खरीद-बिक्री, वितरण और भंडारण।

2. "मदिरा का लाइसेंस (License for Liquor)–

- राज्य सरकार द्वारा शराब के उत्पादन, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।
- बिना लाइसेंस के शराब का निर्माण और बिक्री अवैध होती है।

3. "नियमों का उल्लंघन (Violation of Rules)–

- यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मदिरा का निर्माण या वितरण करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।
- मदिरा के अवैध व्यापार और खपत पर कठोर जुर्माना और सजा हो सकती है।

4. "मदिरा पर शुल्क और कर (Excise Duty and Taxes)–

- राज्य सरकार मदिरा पर विशेष शुल्क (म्बपेम वनजल) वसूल करती है, जो राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- यह शुल्क मदिरा के प्रकार और मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5. "मदिरा की बिक्री के स्थान (Places for Sale of Liquor)–

- केवल उन स्थानों पर मदिरा बेची जा सकती है, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, जैसे— शराब की दुकानों (लाइसेंस प्राप्त), बार और होटल आदि।

6. "नशीली मदिरा का नियंत्रण (Control of Narcotic Liquor)—

- कुछ मदिरा जैसे— नशीली या हानिकारक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उनका उत्पादन, बिक्री या सेवन अवैध होता है।

7. "समाज पर प्रभाव और जागरूकता (Impact on Society and Awareness)—

- राज्य सरकार मदिरा के दुरुपयोग से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है और मदिरा पीने के खतरे के बारे में लोगों को बताती है।

8. "जांच और निगरानी (Inspection and Surveillance)—

- एक्ससाइज अधिकारियों को मदिरा के व्यापार, निर्माण और वितरण की जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियमों का पालन हो रहा है, अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार होता है।

9. "दंड (Punishment)—

- इस एक्ट के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। दंड जुर्माना, सजा, और कभी-कभी दोनों भी हो सकते हैं।
- गंभीर उल्लंघनों पर अभियुक्त को कारावास (जेल) की सजा हो सकती है।

विशेष बिंदु—

- शराब के सेवन के उम्र की सीमा— राजस्थान में शराब पीने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
- पार्टी और आयोजन— शराब के सेवन के लिए विशेष आयोजनों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमति आवश्यक होती है।

राजस्थान बोवाइन एनिमल (वध पर रोक और अस्थायी प्रवास या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995

- इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में गाय, बैल और बकरी जैसे बोवाइन प्रजातियों के वध पर रोक लगाना है और इन जानवरों के अस्थायी प्रवास या निर्यात को नियंत्रित करना है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इन जानवरों की रक्षा करना है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत बोवाइन प्रजातियों (गाय, बैल, बकरी आदि) के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है और इनका निर्यात केवल विशेष परिस्थितियों में अनुमत है।

मुख्य उद्देश्य—

1. बोवाइन पशुओं का वध रोकना— राज्य में गाय, बैल, बकरी आदि के वध पर प्रतिबंध।
2. निर्यात का नियमन— बोवाइन पशुओं के अस्थायी प्रवास या निर्यात को नियंत्रित करना।
3. पशुओं की सुरक्षा और कल्याण— इन जानवरों की रक्षा करना और उनके प्रति क्रूरता को रोकना।

मुख्य प्रावधान—

1. व्याख्याएँ और परिभाषाएँ (Definitions)—

- बोवाइन पशु (Bovine Animal)— गाय, बैल, बकरी, और इनके मिश्रित प्रकार को बोवाइन पशु माना जाएगा।

- वध (Slaughter)– किसी बोवाइन पशु को मारना या उसकी हत्या करना।
- निर्यात (Export)– किसी बोवाइन पशु को राज्य से बाहर भेजना।
- प्रवासन (Migration)– बोवाइन पशु का अस्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर भेजना।

2. वध पर रोक (Prohibition of Slaughter)–

- राजस्थान राज्य में बोवाइन पशुओं का वध पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी गाय, बैल या बकरी को मारने या उसका वध करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- वध करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा शामिल हो सकती है।

3. निर्यात और प्रवासन का नियमन (Regulation of Export and Migration)–

- बोवाइन पशुओं का अस्थायी प्रवास या निर्यात राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को बिना सरकार की अनुमति के बोवाइन पशु को राज्य से बाहर भेजने या प्रवासित करने की अनुमति नहीं होगी।
- इस प्रावधान के तहत, अस्थायी प्रवास या निर्यात की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज और प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

4. निर्यात के उद्देश्य (Purpose of Export)–

- निर्यात या प्रवास की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब यह वैध कारणों के तहत हो, जैसे कि पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों में हो, या किसी अन्य स्वीकृत कारण के लिए।
- धार्मिक, सांस्कृतिक, या मनोरंजन उद्देश्यों के लिए इनका निर्यात और प्रवास अनुमति नहीं होगा।

5. नियंत्रण और निरीक्षण (Control and Inspection)–

- राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।
- निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न करे और सभी प्रमाणपत्र और अनुमतियाँ सही हों।
- अधिकारियों को अधिकार है कि वे बोवाइन पशुओं के परिवहन, बिक्री और स्थानांतरण का निरीक्षण करें।

6. दंड और जुर्माना (Penalties and Fines)–

- यदि कोई व्यक्ति बोवाइन पशु के वध या असंवैधानिक निर्यात में लिप्त पाया जाता है, तो उसे सजा दी जाएगी।
- इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है।
- पशु क्रूरता के मामलों में विशेष दंड का प्रावधान है, ताकि जानवरों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

7. धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू (Religious and Cultural Aspects)–

- इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से बोवाइन पशुओं की सुरक्षा करना है, क्योंकि गाय और अन्य बोवाइन पशु हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखते हैं।
- इसे सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, जहां इन जानवरों का संरक्षण और सम्मान आवश्यक माना जाता है।

8. विशेष प्रावधान (Special Provisions)–

- राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह बोवाइन पशुओं के अस्थायी प्रवास के लिए किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिबंध लगा सकती है या उस क्षेत्र में विशेष अनुमति दे सकती है।

- पशु के निर्यात के लिए कुछ आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं जैसे पशु चिकित्सा जांच, यात्रा के उद्देश्य का प्रमाण, और अन्य आवश्यक कागजात।

9. समीक्षा और संशोधन (Review and Amendment)–

- सरकार समय-समय पर इस अधिनियम की समीक्षा कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन कर सकती है।
 - इस अधिनियम के तहत किसी भी संशोधन को लागू करने के लिए राज्य सरकार को विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता होगी।
- ❖ राजस्थान बोवाइन एनिमल (वध पर रोक और अस्थायी प्रवास या निर्यात का नियमन) अधिनियम, 1995 का मुख्य उद्देश्य बोवाइन पशुओं की रक्षा करना है। यह अधिनियम राज्य में इन जानवरों के वध पर रोक लगाता है और उनके अस्थायी प्रवास या निर्यात को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा न केवल पशुओं की सुरक्षा की जाती है, बल्कि समाज में उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी संरक्षित किया जाता है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर कठोर दंड और जुर्माना लगाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोवाइन पशुओं के वध और निर्यात की प्रक्रिया केवल कानूनी और नियंत्रित तरीकों से हो।

राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस, 1949

- राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस, 1949 एक महत्वपूर्ण कानून है जो राज्य में जुए (गैम्बलिंग) से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है। यह ऑर्डिनेंस उन गतिविधियों पर रोक लगाता है जो सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने की अनुमति देती हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके। इसका उद्देश्य जुए के खेलों को अवैध करना और जुए से जुड़े अपराधों पर रोक लगाना है।

मुख्य उद्देश्य–

1. जुए की गतिविधियों पर रोक– सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने की गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।
2. सामाजिक प्रभावों की रोकथाम– जुआ खेलने से संबंधित नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करना।
3. पुलिस और अधिकारियों को शक्ति प्रदान करना– जुए से जुड़े अपराधों पर निगरानी और कार्रवाई करने के लिए पुलिस और अन्य अधिकारियों को अधिकार देना।

मुख्य प्रावधान–

1. व्याख्याएँ और परिभाषाएँ (Definitions)–

- जुआ (Gambling)– इसमें किसी प्रकार का खेल शामिल है, जिसमें पैसा, वस्तु या अन्य मूल्य की वस्तु दांव पर लगाई जाती है, और जीत या हार की संभावना संयोग पर निर्भर होती है।
- गैम्बलिंग हाउस (Gambling House)– कोई भी स्थान जहां सार्वजनिक रूप से जुआ खेला जाता है, और किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

2. पब्लिक गैम्बलिंग की परिभाषा और प्रतिबंध (Public Gambling & Definition and Prohibition)–

- इस ऑर्डिनेंस के तहत सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलना, जैसे कि खुले मैदान, सड़कों या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर, पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

- किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने की अनुमति नहीं है, और यह किसी भी प्रकार के गैम्बलिंग हाउस को स्थापित करने के लिए भी अवैध है।
- जुए के खेलों की कोई भी तरह की गतिविधि सार्वजनिक या व्यावसायिक उद्देश्य से चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

3. गैम्बलिंग हाउस का संचालन (Operation of Gambling Houses)–

- यदि कोई व्यक्ति या संस्था एक गैम्बलिंग हाउस संचालित करती है, तो यह अपराध माना जाएगा।
- ऐसे स्थानों पर पुलिस और अन्य अधिकारियों को निरीक्षण करने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।
- गैम्बलिंग हाउस की गतिविधियों पर निगरानी रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, और वे किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

4. जुआ खेलने का दंड (Penalty for Gambling)–

- सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने या गैम्बलिंग हाउस संचालित करने पर सख्त दंडात्मक प्रावधान हैं।
- अपराधी को जुर्माना या कारावास हो सकता है, जो इस प्रकार के अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है।
- यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

5. गैम्बलिंग के उपकरणों की जब्ती (Seizure of Gambling Equipment)–

- पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे किसी भी जुआ खेलने के उपकरणों को जब्त करें, जो किसी भी व्यक्ति या गैम्बलिंग हाउस के पास पाए जाएं।
- जुए के लिए उपयोग होने वाले ताश के पत्ते, चिप्स, बोर्ड या अन्य सामान भी जब्त किए जा सकते हैं।

6. जुए पर सजा (Punishment for Gambling Offenses)–

- अगर कोई व्यक्ति गैम्बलिंग में लिप्त पाया जाता है तो उसे जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
- आमतौर पर, सार्वजनिक गैम्बलिंग के लिए अधिकतम दंड एक वर्ष की कारावास की सजा या जुर्माना होता है, या दोनों हो सकते हैं।
- यह दंड इस आधार पर भी निर्भर करता है कि अपराधी ने कितनी बार इस प्रकार का अपराध किया है।

7. प्रवर्तन (Enforcement)–

- इस ऑर्डिनंस को लागू करने के लिए राज्य सरकार पुलिस और अन्य अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराती है।
- पुलिस अधिकारियों को जब भी किसी सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने की जानकारी मिलती है, तो उन्हें उसे तुरंत रोकने और दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है।

8. न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process)–

- इस कानून के उल्लंघन पर न्यायिक कार्यवाही होती है। आरोपी के खिलाफ अदालत में सुनवाई होती है, और अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा दी जाती है।
- आमतौर पर, जुआ खेलने वाले लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया सीधी होती है, और कई बार यह मामलों में छानबीन के बाद तुरंत सजा का निर्धारण किया जाता है।

9. संशोधन और समीक्षा (Amendments and Review)–

- इस ऑर्डिनैस को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि जुए से संबंधित अपराधों और गतिविधियों को और प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके।
- राज्य सरकार को अधिकार होता है कि वह इस कानून में बदलाव करें यदि कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है या अधिक प्रभावी कानूनी प्रावधान की आवश्यकता महसूस होती है।

विशेष बिंदु–

- **धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू**– राजस्थान में जुआ पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रमुख कारण सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। जुआ खेलने से परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और समाज में अपराध बढ़ सकता है।
- **राज्य सरकार का अधिकार**– राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष क्षेत्र में जुआ खेलने के खिलाफ अतिरिक्त सख्त कदम उठाए या विशेष निर्देश जारी करे।

- ❖ राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनैस, 1949 का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है। यह कानून जुआ के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधानों का पालन करता है, जिससे न केवल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से नकारात्मक प्रभावों से बचाव होता है, बल्कि अपराधों पर भी नियंत्रण होता है। पुलिस और अन्य अधिकारियों को इस कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, और इस कानून का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (Rajasthan Forest Act, 1953)

राजस्थान में वनों के संरक्षण, प्रबंधन और वन उपज के पारगमन (Transit) को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह मुख्य रूप से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के ढांचे पर आधारित है। यहाँ इस अधिनियम के प्रमुख विवरण दिए गए हैं:

1. वनों का वैधानिक वर्गीकरण

अधिनियम के तहत राजस्थान के वनों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जो उनकी सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करते हैं:

- **आरक्षित वन (Reserved Forest):** ये वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं। यहाँ लकड़ी काटना, चराई या किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह वर्जित है। (जैसे: राष्ट्रीय उद्यान)।

- रक्षित वन (Protected Forest): इन वनों में सरकार कुछ विशेष नियमों और शर्तों के साथ स्थानीय लोगों को चराई और लकड़ी काटने की सीमित अनुमति देती है। राजस्थान के अधिकांश वन इसी श्रेणी में आते हैं।
- अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest): यहाँ वृक्षों को काटने या पशुओं को चराने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ सकता है।

2. मुख्य धाराएं और प्रावधान

- धारा 26 (आरक्षित वन): आरक्षित वनों में आग लगाना, पेड़ काटना, शिकार करना या अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है।
- धारा 33 (रक्षित वन): रक्षित वनों में नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।
- धारा 41: यह सरकार को वन उपज (लकड़ी, कोयला आदि) के परिवहन और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है।
- धारा 52 (अधिग्रहण): यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि वन अपराध हुआ है, तो वन अधिकारी संबंधित उपज, औजार, वाहन और पशुओं को जब्त कर सकते हैं।

3. दंड और जुर्माना (संशोधन 2013 के अनुसार)

2013 के संशोधन के बाद जुर्माने की राशियों में भारी वृद्धि की गई है:

- पुराना जुर्माना: पहले उल्लंघन पर जुर्माना अक्सर 500 तक सीमित था।
- नया जुर्माना: अधिकांश उल्लंघनों के लिए अब 25,000 तक का जुर्माना और 6 माह तक का कारावास (या दोनों) हो सकता है।
- यदि अपराध सूर्यास्त के बाद या संगठित रूप से किया जाता है, तो सजा दोगुनी हो सकती है।

4. वन उपज (Forest Produce) की परिभाषा

इस अधिनियम के तहत केवल लकड़ी ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित को भी वन उपज माना जाता है:

- लकड़ी, कोयला, छाल, राल (Resin), गोंद।
- जंगली फूल, फल, घास, शहद, मोम और रेशम के कीड़े।
- पत्थर, मिट्टी, चूना पत्थर और अन्य खनिज जो वन क्षेत्र से मिलते हैं।

5. वन अधिकारियों की शक्तियाँ

- बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति (कतिपय मामलों में)।
- वन अपराध से संबंधित सामग्री और वाहनों को जब्त करना।
- वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार।

विशेष नोट: राजस्थान की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को लागू की गई थी, जो इसी अधिनियम के उद्देश्यों को और अधिक सुदृढ़ बनाती है।

राजस्थान शोर नियंत्रण अधिनियम, 1963 (Rajasthan Noises Control Act,)

राजस्थान राज्य में शोर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य पर शोर के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने, और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत, शोर से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि लोगों को असहनीय शोर से बचाया जा सके और वातावरण को शांति प्रदान की जा सके।

राजस्थान शोर नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रमुख प्रावधान:

उद्देश्य:

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में शोर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ताकि यह किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य, आराम और मानसिक शांति को नुकसान न पहुंचाए। सार्वजनिक स्थानों और आवासीय क्षेत्रों में अत्यधिक शोर की गतिविधियों पर रोक लगाना।

शोर का परिभाषा:

- अधिनियम में "शोर" को एक अनावश्यक और अवांछनीय ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- इसमें लाउडस्पीकर, वाहन, निर्माण कार्य, शोरगुल, पटाखे, आदि से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ शामिल हैं।

शोर की सीमा निर्धारित करना:

- इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह शोर की अधिकतम सीमा को निर्धारित करे, जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, या शांतिपूर्ण क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है।
- शोर स्तर को डेसिबल (dB) में मापने की प्रणाली लागू की जाती है। उदाहरण के लिए, आवासीय क्षेत्रों में शोर की सीमा 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह सीमा 65 डेसिबल तक हो सकती है।

लाउडस्पीकर और संगीत प्रणाली पर प्रतिबंध:

- लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि उपकरणों का उपयोग केवल अनुमति प्राप्त स्थानों और समय सीमा के भीतर ही किया जा सकता है।
- विशेष रूप से रात के समय (10 बजे के बाद) और सुबह के समय (6 बजे से पहले) अत्यधिक शोर करने पर प्रतिबंध होता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर शादी-समारोह, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य आयोजनों के दौरान शोर स्तर को नियंत्रित किया जाता है।

अवैध शोर की कार्रवाई:

- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है और निर्धारित शोर सीमा से अधिक शोर उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

- पुलिस अधिकारी या अन्य प्रशासनिक अधिकारी शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों को जब्त कर सकते हैं और व्यक्ति पर जुर्माना भी लगा सकते हैं।

शिकायत और निवारण:

- यदि कोई व्यक्ति या समूह अत्यधिक शोर से परेशान है, तो वह संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।
- अधिकारियों को ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए सक्षम बनाया जाता है और वे तुरंत कार्रवाई करते हैं।

सजा और जुर्माना:

- इस अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा शोर उत्पन्न करने पर जुर्माना या सजा दी जा सकती है।
- शोर के गंभीर उल्लंघन में कारावास की सजा भी हो सकती है। जुर्माने का आकार यह निर्भर करता है कि उल्लंघन कितना गंभीर था।

ध्वनि प्रदूषण के अन्य स्रोत:

- इस अधिनियम में शोर के अन्य स्रोतों का भी उल्लेख है, जैसे कि निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ, बड़े वाहनों से होने वाला शोर, सार्वजनिक कार्यक्रमों या सभाओं से उत्पन्न होने वाली आवाजें, आदि।
- इन स्रोतों पर नियंत्रण लगाने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव:

- शोर प्रदूषण से लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, नींद की कमी, और सुनने में दिक्कतें।
- इस अधिनियम का उद्देश्य इन प्रभावों को नियंत्रित करना है और राज्य के पर्यावरण को भी शांति और संतुलन प्रदान करना है।